अशोक स्तम्भ

सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान सभा की कार्यान्वयन समिति

का

<u>प्रथम प्रतिवेदन</u>

(रांची में सिवरेज एवं ड्रेनेज के निर्माण हेतु मैनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति की जाँच के लिए सदन द्वारा गठित विशेष समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु नगर विकास विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कार्यान्वयन समिति का प्रतिवेदन)

उपस्थापन की तिथि .....

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

fo"k; lph

1.	प्राक्कथन	–	'क'
2.	समिति का गठन	–	'ख'
3.	समिति का प्रतिवेदन, निष्कर्ष एवं अनुशंसा	–	'ग'
4.	परिशिष्ट	–	'घ'

ikDdFku

मैं सभापति, कार्यान्वयन समिति, सभा के समक्ष समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कार्यान्वयन समिति के सभापति के रूप में मनोनीत कर समिति में कार्य करने का अवसर प्रदान किया । साथ ही समिति के अन्य सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ, विशेषकर श्री सुखदेव भगत जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में अपना बहुमूल्य सुझाव दिया, जिससे निष्कर्ष पर पहुँचने में सहुलियत हुई ।

झारखण्ड विधान सभा की वर्त्तमान कार्यान्वयन समिति का गठन झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियम 223 (1) के तहत् माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या – 1023 दिनांक :– 20.04.2006 द्वारा किया गया । जिसमें मुझे समिति का सभापति और तत्कालीन माननीय मंत्री, श्री मधु कोड़ा एवं माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत को इस समिति का सदस्य मनोनीत किया गया । बाद में समिति का आंशिक पुनर्गठन सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या –2945 दिनांक – 2.11.06 द्वारा किया गया जिसमें माननीय मंत्री, श्री मधु कोड़ा के स्थान पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव को इस समिति का सदस्य मनोनीत किया गया ।

गठन के उपरांत समिति ने विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों में की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन पर विचार करना शुरू किया । उनमें से एक प्रतिवेदन सदन द्वारा गठित विशेष समिति का था । इस विशेष समिति का गठन राँची में सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मैनहर्ट परामर्शी की चयन की जांच हेतु किया गया था । विशेष समिति की अनुशंसा निम्नांकित थी :–

"समिति द्वारा पूछे गये प्रश्नों के आलोक में विभाग द्वारा जो उत्तर उपलब्ध कराया गया उस उत्तर के गहन मंथन के पश्चात् समिति संतोष व्यक्त करती है, किन्तु इसके कतिपय बिन्दु तकनीकी समीक्षा से सम्बद्ध हैं । अतः समिति यह अनुशंसा करती है कि अपेक्षित तकनीकी जांच करवाते हुए सरकार आगे की कार्रवाई करे ।"

स्पष्ट है कि विशेष समिति की अनुशंसा का कार्यान्वयन कतिपय विन्दुओं की तकनीकी जांच के प्रतिफल पर निर्भर था । लेकिन अनुशंसा में वे तकनीकी विन्दु

कौन–कौन से हैं, जो जांच की परिधि में हैं, स्पष्ट नहीं होने के कारण कार्यान्वयन समिति ने नगर विकास विभाग से यह जानना चाहा कि विभाग द्वारा विशेष समिति की अनुशंसाओं के आलोक में किन–किन विन्दुओं को जांच की परिधि में शामिल कर जांच कराया गया और इन्हें शामिल करने का आधार क्या था ? साथ ही जांच की अद्यतन स्थिति क्या है ? विभाग द्वारा सूचित किया गया कि इस हेतु एक उच्चस्तरीय तकनीकी उपसमिति गठित थी, जिसने जांचोंपरान्त मेनहर्ट परामर्शी के चयन को संपुष्ट किया था और सही बताया था । इस आधार पर मेनहर्ट को कार्यादेश जारी करने का निदेश दे दिया गया ।

चूंकि कार्यान्वयन समिति का दायित्व विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों में निहित अनुशंसाओं का क्रियान्वयन कराना और यह देखना है कि वह क्रियान्वयन अनुशंसा के आलोक में सही परिप्रेक्ष्य में किया गया है या नहीं । इस दायित्व के निर्वहन के क्रम में समिति ने नगर विकास विभाग, नगर विकास विभाग द्वारा गठित तकनीकी उप समिति, मुख्य समिति एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के साथ बैठक की गई और उनके द्वारा बैठक में रखे गये विचार और उपलब्ध कराये गये कागजात के आधार पर जो निष्कर्ष उभर कर आये हैं, उसी पर यह प्रतिवेदन आधारित है ।

अन्त में, मैं समिति की ओर से झारखण्ड विधान सभा के उन सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है ।

स्थान :– राँची ।
दिनांक :–

ह0/– सरयू राय
सभापति, कार्यान्वयन समिति,
झारखण्ड विधान सभा, रांची।

lfefr dk xBu

1.	श्री सरयू राय,	स0 वि0 स0,	सभापति
2.	श्री प्रदीप यादव,	स0 वि0 स0,	सदस्य
3.	श्री सुखदेव भगत,	स0 वि0 स0,	सदस्य

lHkk lfpoky;

1.	श्री अमरनाथ झा,	सचिव
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह,	विशेष सचिव
3.	श्री गौरी शंकर अग्रवाल,	उप सचिव
4.	श्री संतोष कुमार सिंह,	अवर सचिव
5.	श्री विष्णु पासवान,	सहायक

प्रतिवेदन

झारखण्ड विधान सभा की वर्तमान कार्यान्वयन समिति का गठन सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या–1023 दिनांक –20.4.06 द्वारा की गयी ।

समिति द्वारा दिनांक–24.6.06 की बैठक में विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों और उनमें की गयी अनुशंसाओं पर विचार किया गया । इनमें से एक प्रतिवेदन सदन द्वारा गठित विशेष समिति का था । इस विशेष समिति का गठन रांची में समेकित सिवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना हेतु मेनहर्ट (सिंगापुर) परामर्शी के चयन की जांच हेतु किया गया था । विशेष समिति की अनुशंसा निम्नांकित थी :–

"समिति द्वारा पूछे गये प्रश्नों के आलोक में विभाग द्वारा जो उत्तर उपलब्ध कराया गया उस उत्तर के गहन मंथन के पश्चात् समिति संतोष व्यक्त करती है, किन्तु इसके कतिपय बिन्दु तकनीकी समीक्षा से सम्बद्ध हैं । अतः समिति यह अनुशंसा करती है कि अपेक्षित तकनीकी जांच करवाते हुए सरकार आगे की कार्रवाई करे ।"

स्पष्ट है कि विशेष समिति की अनुशंसा का कार्यान्वयन कतिपय बिन्दुओं की तकनीकी जांच के प्रतिफल पर निर्भर था । इसलिए समिति ने उक्त बैठक में नगर विकास विभाग से जानना चाहा कि अपेक्षित तकनीकी जांच करवाने की दिशा में क्या कार्रवाई हुई है? चूंकि समिति ने कतिपय बिन्दुओं की तकनीकी समीक्षा और उनकी जांच की अनुशंसा किया है, अतः कार्यान्वयन समिति अवगत होना चाहती है कि वे तकनीकी बिन्दु क्या हैं? क्योंकि विशेष समिति की अनुशंसा में वे कतिपय बिन्दु जो तकनीकी समीक्षा से सम्बद्ध थे, स्पष्ट नहीं किये गये हैं । विशेष समिति द्वारा पूछे गये प्रश्न और उनके उत्तर जो विशेष समिति के प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं थे, उन्हें नगर विकास विभाग से मांगा गया और समिति की आगामी बैठक दिनांक–3.7.06 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभा सचिवालय के पत्र संख्या–2733 दिनांक–29.6.06 (परि0–1) द्वारा वांछित सूचनाओं की मांग नगर विकास विभाग से की गयी । लेकिन वांछित सूचनाएँ विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा सकीं । पुनः दिनांक–3.7.06 की बैठक में 'मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति की पृष्ठभूमि और इस संबंध में विधान सभा की विशेष समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी एवं सभा सचिवालय के पत्रांक–2733 में वांछित सूचनाओं के साथ सचिव, नगर विकास विभाग को समिति की दिनांक–20.7.06 की आगामी बैठक में बुलाने का निर्णय लिया गया । समिति के इस निर्णय के आलोक में सभा–सचिवालय के

पत्रांक–2917 दिनांक–13.7.06 (परि0–2) द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग को सूचना दी गयी ।

दिनांक–20.7.06 की बैठक में श्री आर.के. श्रीवास्तव, सचिव नगर विकास विभाग स्वयं उपस्थित हुए । समिति ने उनसे जानना चाहा कि विभाग ने विशेष समिति की अनुशंसा के किन बिन्दुओं पर कार्रवाई की है। तथा विशेष समिति की अनुशंसा पर कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति क्या है? तब सचिव, नगर विकास विभाग ने बताया कि कैबिनेट का डिसिजन हो गया है तथा हमलोगों ने रांची नगर निगम को कार्यादेश देने हेतु अधिकृत कर दिया है, क्योंकि काम रांची नगर निगम को ही करना है । इस तरह से इस दिशा में अग्रतर कार्रवाई कर दी गयी है। समिति ने पुनः यह जानना चाहा कि किस आधार पर आप लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कौन तकनीकी पहलू जांच के योग्य हैं, क्योंकि आपके द्वारा समिति के समक्ष रखे गये पत्र (परि0–3) से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वे तकनीकी बिन्दु क्या हैं ? तब सचिव, नगर विकास विभाग ने कहा कि वे तकनीकी बिन्दु टेंडर से जुडे हैं, जिनका निराकरण हो गया है ।

समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि विभाग ने यह कैसे निष्कर्ष निकाला कि ये तकनीकी बिन्दु टेंडर से ही संबंधित हैं, नियुक्ति प्रक्रिया से नहीं? विशेष समिति के प्रतिवेदन में एक जगह अंकित है कि माननीय सदस्य श्री नियेल तिर्की ने जिज्ञासा जाहिर की थी कि ओ.आर.जी. ने भी इस बारे में एक रिपोर्ट दिया है । लेकिन आपके अनुपालन प्रतिवेदन में इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है । इस पर सचिव द्वारा बताया गया कि इस संबंध में मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है । फिर यह पूछे जाने पर कि ओ.आर.जी की रिपोर्ट मांगे जाने के बावजूद विशेष समिति के समक्ष क्यों नहीं रखा गया है तो सचिव, नगर विकास विभाग ने कहा कि पूर्व में सारे बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही विशेष समिति द्वारा रिपोर्ट दिया गया होगा । समिति ने कहा कि ओ. आर.जी. की रिपोर्ट मिले बिना विशेष समिति ने जिन तकनीकी बिन्दुओं के जांच की आवश्यकता महसूस की है, उन पर प्रकाश डाला जाय । इस पर सचिव, नगर विकास विभाग का उत्तर था कि पूर्व की बैठक में ओ.आर.जी. के संबंध में उत्तर दिया गया था तथा इन सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद ही विशेष समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंची होगी । तब समिति ने कहा कि पूर्व की विशेष समिति ने ओ.आर.जी. के संबंध में जो प्रश्न उठाया था वह अभी तक अनुत्तरित है । ऐसी स्थिति में ओ.आर.जी. संबंधी रिपोर्ट क्या थी? यह जानना आवश्यक है । पूर्व में ओ.आर.जी. को नियुक्त करने और फिर उसी काम के लिए मेनहर्ट की नियुक्ति करने की क्यों जरूरत हो गई? पूर्व में विशेष

समिति ने सभी पहलुओं की जांच की होगी फिर भी दोबारा अपनी अनुशंसा में समिति ने इन तकनीकी बिन्दुओं की जांच होना क्यों आवश्यक कहा यह स्पष्ट नहीं हो रहा है । तब सचिव, नगर विकास विभाग ने बताया कि विशेष समिति द्वारा तकनीकी बिन्दुओं को स्पष्ट नहीं किया गया है । विभाग ने जो समझा उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की गई है । पुनः समिति ने जानना चाहा कि जो परामर्शी पहले नियुक्त थे और उनको हटाकर दूसरे को क्यों नियुक्त किया गया? तो पहले नियुक्त परामर्शी को हटाने की जरूरत क्यों आयी? वह काम करने के योग्य थे या नहीं? उनकी नियुक्ति नियमानुसार हुई थी या नहीं? उनको हटाने के लिए क्या आधार अपनाया गया? अगर इन बिन्दुओं पर आपके द्वारा पूर्ण जानकारी दी जाती है, तो जिन तकनीकी बिन्दुओं की ओर विशेष समिति द्वारा इशारा किया गया है वे स्पष्ट हो सकेंगे ।

मेनहर्ट को नियुक्त करने की क्या पृष्ठभूमि थी और इस हेतु नगर विकास विभाग और रांची नगर निगम द्वारा जिन तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया, उस संबंध में समिति को प्रतिवेदन चाहिए । इस पर सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा बताया गया कि पूर्व की विशेष समिति की बैठक में सभी विभागीय पदाधिकारी तथा रांची नगर निगम के पदाधिकारी रहते थे । इस संबंध में सभी सूचनायें एवं पृच्छाओं का उत्तर पूर्व में दिया जा चुका है । अब विशेष समिति की अनुशंसाओं का जो कार्यान्वयन किया गया है, उस पर कार्रवाई चल रही है । आज की तिथि में इस संबंध में पूर्व में हुए निर्णयों और कार्रवाईयों पर मैं टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ । तब समिति ने कहा कि उठाये गये तकनीकी बिन्दुओं के संबंध में विभाग को टेंडर और चयन प्रक्रिया से जुड़े सभी बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि पूर्व में माननीय सदस्य श्री नियेल तिर्की द्वारा ओ.आर.जी. के संबंध में की गयी पृच्छाओं का उत्तर विभाग द्वारा कभी नहीं दिया गया था । ये सूचनायें मिल जायें तब सभी तकनीकी पहलुओं पर समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है । समिति सिर्फ यह जानना चाहती है कि ओ.आर.जी. के कार्यादेश को क्यों निरस्त किया गया । समिति को विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का वह प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय जिसके आधार पर सरकार द्वारा अग्रतर कार्रवाई की गयी है ।

समिति ने पुनः यह जानना चाहा कि तकनीकी समिति का प्रतिवेदन क्या था? तब सचिव, नगर विकास विभाग ने बताया कि सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर एवं अन्य पदाधिकारियों को मिलाकर यह समिति बनी थी तथा इनलोगों ने ही तकनीकी बिन्दुओं पर जांच कर अपना रिपोर्ट दिया है और कैबिनेट से पास होने के बाद अग्रतर

कार्रवाई हुई है। तब कार्यान्वयन समिति ने यह स्पष्ट किया कि विशेष समिति की यह अनुशंसा थी कि पहले अपेक्षित तकनीकी जांच कारवाई जाए । यह समिति जानना चाहती है कि उन अपेक्षित तकनीकी पहलुओं की जांच में क्या हुआ तथा उस आधार पर सरकार ने अग्रतर कार्रवाई में क्या किया? तथा यह भी कि विभागीय तकनीकी समिति द्वारा किन–किन बिन्दुओं पर तकनीकी जांच की गई, वह प्रतिवेदन दिया जाए । तब सचिव, नगर विकास विभाग का उत्तर था कि विशेष समिति की अनुशंसा पर ही उच्चस्तरीय तकनीकी समिति बनी, उसकी अनुशंसा को कैबिनेट में रखा गया और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही रांची नगर निगम को अग्रतर कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया । तकनीकी समिति का जांच प्रतिवेदन भी समिति को दे दिया जाएगा । कार्यान्वयन समिति ने निदेश दिया कि दिनांक–28/7/06 को 3.00 बजे अप0 में तकनीकी समिति के प्रतिवेदन के साथ सक्षम विभागीय पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए भेजा जाए जो समिति को अपने उत्तर से संतुष्ट कर सके ।

सचिव, नगर विकास विभाग के साथ बैठक समाप्त करने के बाद प्रासंगिक विषय पर गहन समीक्षा की गयी जिसमें निम्न तथ्य उभर कर सामने आये :–

मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति के पहले इसी कार्य को सम्पन्न करने हेतु ओ.आर. जी. नामक एक परामर्शी नियुक्त किया गया था । ओ.आर.जी. ने माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा और माननीय मुख्य मंत्री, झारखंड को क्रमशः दिनांक–20.3.06 और दिनांक–22.5.06 को पत्र लिखा था, जिसमें ओ.आर.जी. ने विस्तार से उल्लेख किया है कि उसे इस काम के लिए परामर्शी नियुक्त करने के बाद बिना किसी सूचना के हटा दिया गया । इन दोनों पत्रों (परि0 4 एवं परि0 5) को कार्यवाही का अंग बनाया गया ताकि उसमें अंकित सूचनाओं की पुष्टि करने में सहुलियत हो सके । उक्त पत्र के अनुसार दिनांक–11.10.03 को रांची के सिवरेज ड्रेनेज के निर्माण हेतु ओ.आर.जी. और रांची नगर निगम के बीच एक एकरारनामा हुआ था । जिसमें परामर्शी को सम्पूर्ण परियोजना व्यय का 2.8 प्रतिशत शुल्क के रूप में दिया जाना तय हुआ था । ऐसा ही एक एकरारनामा रांची नगर निगम ने स्पैन कन्सलटेंट के साथ भी किया था । इन दोनों परामर्शियों के बीच रांची नगर निगम क्षेत्र के कार्यों के बंटवारा किया गया था तथा भुगतान की शर्त्तें भी निर्धारित की गई थी । ओ.आर.जी. ने रांची नगर निगम के वार्ड नं.–1 से वार्ड नं0–24 का प्रिलिमनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पी.पी.आर) दिसम्बर में रांची नगर निगम को सौंपा था, जिसके अनुसार इस कार्य में 315 करोड़ रूपये सम्भावित व्यय का अनुमान था । जनवरी, 05 में रांची नगर निगम ने जोन–3 का काम

प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश ओ.आर.जी. को दिया था । ओ.आर.जी. ने इस बारे में दिनांक–31.3.05 को एक प्रतिवेदन रांची नगर निगम को सौंपा जिसे रांची नगर निगम की विशेष समिति ने स्वीकार कर लिया था । लेकिन दिनांक–13.6.05 को रांची नगर निगम के प्रशासक द्वारा इस परामर्शी की सेवायें रद्द कर दी गई । उन्हें निर्देशित किया गया कि रांची नगर निगम क्षेत्र में समेकित सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने संबंधी कोई भी कार्य आपके फर्म द्वारा नहीं किया जाय क्योंकि रांची नगर एवं आपके फर्म के साथ हुए एकरारनामें को रद्द किया जाता है । प्रशासक रांची नगर निगम द्वारा यह आदेश नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–210 म.वि./1387बी/2001–1158 दिनांक–15.6.05 (परि0–6) द्वारा दिये गये स्पष्ट आदेश के आधार पर दिया गया था । इससे प्रतीत होता है कि रांची नगर निगम ने आलोच्य विषय के संबंध में दो परामर्शियों की सेवायें लेने हेतु एकरारनामा किया था तथा जिसको रद्द करने का निर्देश नगर विकास विभाग द्वारा दिया गया। इन एकरारनामों के रद्द होने के बाद ही इसी विषय में नये सिरे से परामर्शी को नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई तथा उक्त प्रक्रिया के द्वारा मेनहर्ट को परामर्शी के रूप में नियुक्त किया गया । इस पर समिति का मत बना कि विशेष समिति ने जिन तकनीकी पहलुओं की जांच करने और तदुपरान्त आगे की करार्रवाई कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है, उसी पृष्ठभूमि में ओ.आर.जी. और स्पैन कन्सलटेंट की नियुक्ति और उनके द्वारा हुये कार्यों को संतोषजनक पाये जाने के बावजूद उनके एकरारनामे को एकाएक रद्द किये जाने पर विचार करना भी समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि इन परामर्शियों के साथ हुए एकरारनामे के बिन्दु 2.7 में उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी दी हुई है । राज्य सरकार को इन परामर्शियों को बर्खास्त करने का निदेश रांची नगर निगम को दिये जाने के पूर्व एकरारनामें की कंडिका 2.7 में उल्लेखित शर्त्तों का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा अथवा रांची नगर निगम द्वारा किया गया अथवा नहीं के सन्दर्भ में यह समिति को प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है ।

समिति द्वारा यह महसूस किया गया कि विशेष समिति को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिससे विशेष समिति अपने प्रतिवेदन में अपेक्षित जांच से संबंधित तकनीकी पहलुओं को परिभाषित नहीं कर सकी थी । नतीजा यह हुआ कि नगर विकास विभाग ने स्वतः उसे अपने अनुसार परिभाषित कर लिया और एक तकनीकी समिति बनाकर उसका प्रतिवेदन भी प्राप्त कर लिया । उक्त

प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति के समक्ष आज की बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा नहीं रखा गया ।

सचिव, नगर विकास विभाग ने 28 जुलाई, 06 को होने वाली कार्यान्वयन समिति की बैठक में तकनीकी समिति के प्रतिवेदन तथा मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति की पृष्ठभूमि में पूर्व नियुक्त दो परामर्शियों के साथ हुए एकरारनामें के रद्द करने के बारे में अपना मंतव्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने की बात स्वीकार किया था । समिति यह भी महसूस करती है कि इस विषय में पूर्ण और स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन सभी बिन्दुओं पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए था और ओ.आर.जी. द्वारा माननीय सभाध्यक्ष एवं माननीय मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्रों में जो सूचनायें दी गई थीं उनकी सत्यता के बारे में पुष्टि की जानी चाहिए थी ।

उपर्युक्त वर्णित्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा महसूस किया गया कि परामर्शी के रूप में मेनहर्ट की नियुक्ति के बारे में जांचोपरान्त सदन की विशेष समिति ने जिन तकनीकी पहलुओं की ओर इशारा किया है और सारी सूचनायें उपलब्ध नहीं रहने के कारण जिन्हें विशेष समिति सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकी है, वैसे तकनीकी पहलुओं के बारे में किसी सुस्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक प्रतीत होता है।

इसके बाद समिति की बैठक दिनांक–28.7.06 को हुई, जिसमें नगर विकास विभाग के अवर सचिव, श्री रविशंकर प्रसाद उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के प्रतिवेदन (परि0 7) के साथ उपस्थित हुए और प्रतिवेदन समिति को सौंपा । प्रतिवेदन पर समिति ने विचार किया और इसे प्रथम दृष्टया असंतोषजनक एवं अतिरंजित पाया और महसूस किया कि समिति उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के सदस्यों से यह जानकारी प्राप्त करे कि विशेष समिति की अनुशंसा के मद्देनजर किन तकनीकी बिन्दुओं को जांच की परिधि में शामिल किया गया और तकनीकी समिति किन तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंची । इस सन्दर्भ में नगर विकास विभाग के अवर सचिव, श्री रविशंकर प्रसाद, जो उक्त तिथि की बैठक में उपस्थित थे, को समिति द्वारा निदेश दिया गया कि समिति की आगामी बैठक दिनांक–4.8.06 को होगी। बैठक में उक्त उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सदस्यों को उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाय ।

चूंकि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के प्रतिवेदन में रांची में सिवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना हेतु परामर्शी के चयन के लिए आमंत्रित निविदा के समीक्षा हेतु गठित तकनीकी उपसमिति का जिक्र था और इस तकनीकी उप समिति का मूल्यांकन ही मुख्य

रूप से मेनहर्ट का परामर्शी के रूप में चयन का मुख्य आधार बना था, इसलिए समिति ने उक्त तकनीकी उपसमिति के विशेषज्ञ सदस्यों से भी सम्यक दायित्व निर्वाह के संबंध में विचार–विमर्श करना उचित समझा । समिति की बैठक में उपस्थित नगर विकास विभाग के अवर सचिव को समिति द्वारा निदेश दिया गया कि वे 4.8.06 की बैठक में इस तकनीकी उपसमिति के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें ।

समिति ने यह महसूस किया कि इन दोनों तकनीकी समितियों के सदस्यों से प्राप्त जानकारी के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचने में समर्थ हो सकेगी कि नगर विकास विभाग द्वारा सभा की विशेष समिति की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने में कितनी तत्परता और कितनी सावधानी बरती गयी है, और नगर विकास विभाग द्वारा समिति की अनुशंसाओं को किस हद तक सही संदर्भ में लिया गया है ।

इसके पश्चात् समिति द्वारा विशेष समिति को नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातों का सम्यक् और तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया, जो निम्नांकित है :–

विधान सभा की विशेष समिति के प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' 'ग' और 'घ' में अंकित कतिपय विशिष्टयों का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है । परिशिष्ट 'ख' में प्रशासक रांची नगर निगम द्वारा ज्ञापांक–1949 / रांची दिनांक–7.9.05 द्वारा वित्त सचिव सह अध्यक्ष सिवरेज ड्रेनेज समिति को झारखण्ड, रांची के तकनीकी उप समिति द्वारा तैयार की गयी तुलनात्मक विवरणी (परि0–8) भेजी गई । परिशिष्ट 'ग' पर नगर विकास विभाग द्वारा सिवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना का कार्यान्वयन हेतु मेनहर्ट (सिंगापुर) को परामर्शी नियुक्त किये जाने के संबंध में एक प्रतिवेदन (परि0–9) है। परिशिष्ट 'घ' पर नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अल्पकालीन निविदा का प्रारूप आर0एफ0पी0 (परि0–10) रखा गया है । अल्पकालीन निविदा से संबंधित कंडिका '3' पर इस निविदा के संबंध में मांगे गये प्रस्ताव के संबंध में उल्लेख है, जिसके अनुसार जो भी संस्था निविदा जमा करेगी उसको निम्नांकित तीन सील बंद लिफाफों में प्रस्ताव देना होगा :–

1. डाक्यूमेंट इन प्रूफ ऑफ इलिजिबिलिटी
2. टेक्निकल प्रोपोजल और
3. फाइनेंसियल प्रोपोजल

इसी पृष्ठ की कंडिका 3.1.3 में न्यूनतम आवश्यक अर्हताएं दी गई हैं और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर इसमें से किसी एक पर भी निविदा खरा नहीं उतरती है तो आगे के मूल्यांकन में उसे शामिल नहीं किया जायेगा । इसमें योग्यता की जो शर्त्तें दी गई हैं उनमें से 2 का उल्लेख निम्नवत् है :–

1. निविदादाता का वास्तविक टर्न ओवर जो विगत तीन वर्षों के टर्न ओवर का औसत होगा, वह 40 करोड़ रूपया अथवा उससे अधिक होना चाहिए ।
2. निविदादाता फॉर्म को विगत तीन वर्षों में लगातार मुनाफा में रहना चाहिए ।

इसके बाद निविदा प्रपत्र की कंडिका '4' में प्रस्ताव समर्पित करने की विधि तथा कंडिका '5' में प्रस्ताव के मूल्यांकन की विधि अंकित की गई है । इन दोनों कंडिकाओं में कहा गया है कि समर्पित प्रस्ताव तीन चरणों में और तीन मुहरबंद लिफाफा में होना चाहिए जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है ।

इसके बाद परिशिष्ट 'ग' पर रखे गये प्रतिवेदन में नगर विकास विभाग ने बताया है कि इसी कार्य के लिए पूर्व में ओ.आर.जी. एवं स्पैन ट्रावर्स मोर्गन नामक दो परामर्शियों का चयन अक्तूबर, 03 में किया गया था, जून, 2005 में माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन दोनों परामर्शियों की नियुक्ति की समीक्षा की गई । उक्त बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, योजना सचिव, नगर विकास सचिव, भवन निर्माण सचिव तथा प्रशासक, रांची नगर निगम भी उपस्थित थे । उक्त बैठक में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर दोनों परामर्शियों का कार्य असंतोषजनक पाया गया । सर्वसम्मति से परामर्शियों के साथ हुए एकरारनामा को रद्द करते हुए विभाग द्वारा इस कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया । इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आमंत्रित निविदा (परि0–10) में से ही मेनहर्ट परामर्शी का चयन किया गया । रांची नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत सिवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मेनहर्ट (सिंगापुर) को परामर्शी नियुक्त किये जाने के संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा विधान सभा की विशेष समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन (परि0–9) की कंडिका '4' में निविदा की प्रमुख शर्त्तों का उल्लेख तो किया गया है। मगर आश्चर्य है कि इस कंडिका में उल्लिखत शर्त्तों के मुताबिक निविदा केवल दो मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की गई, जिसमें से एक में 'तकनीकी एवं दूसरे में 'वित्तीय प्रस्ताव' शामिल थे । जबकि परिशिष्ट–'घ' पर रखी गयी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित निविदा के मूल प्रपत्र

(परि0–10) में स्पष्ट उल्लेख है कि निविदा तीन मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की जायेगी ।

जिनमें एक लिफाफा निविदादाता के फर्म के योग्यता के सन्दर्भ में होगा । दूसरा लिफाफा तकनीकी प्रोपोजल के संबंध में और तीसरा लिफाफा वित्तीय प्रोपोजल के संबंध में होगा ।

इन दोनों प्रपत्रों में 'ग' और 'ख'(जो क्रमशः इस प्रतिवेदन के परि0–9 एवं परि0–8 पर हैं) में रखे गये निविदा के शर्त्तों में स्पष्ट अंतर है। उल्लेखनीय है कि परिशिष्ट 'ग' पर रखा गया प्रतिवेदन नगर विकास विभाग द्वारा सभा की विशेष समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया है, जबकि परि.'घ' पर अंतर्राष्ट्रीय निविदा प्रपत्र इस सन्दर्भ में प्रकाशित निविदा का मूल दस्तावेज (परि0–10) है। परिशिष्ट 'ख' पर तुलनात्मक विवरणी है, जो इस निविदा के मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी उपसमिति द्वारा तैयार कर वित्त सचिव–सह अध्यक्ष सिवरेज एवं ड्रेनेज समिति को भेजी गयी है । यह तुलनात्मक विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर रखे गये मूल निविदा प्रपत्र में अंकित निविदादाता फर्म की योग्यता के आधार पर तैयार की गई तुलनात्मक विवरणी है। इस विवरणी के अनुसार चार निविदादाताओं ने निविदाएं समर्पित की । इन चारों निविदादाताओं ने वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 के वित्तीय वर्षों के अपने कुल टर्न ओवर और अपने कुल लाभ का आंकड़े प्रदर्शित किए हैं । इसमें मेनहर्ट द्वारा भी वांछित सूचनाएं दी गई हैं । परन्तु निविदादाता 'मेनहर्ट' ने वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 का ही अपना टर्न ओवर उसमें अंकित किया है । वर्ष 2004–05 के बारे में इसमें कोई आंकड़ा नहीं देकर 'अनुपलब्ध' शब्द का उपयोग किया है । अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित निविदा में निविदादाता की योग्यता निर्धारित करने के लिए जो सूचनायें मांगी गई हैं, उन सूचनाओं को मेनहर्ट ने पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराया है । उल्लेखनीय है कि निविदा के मूल प्रपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अगर योग्यता निर्धारित करने के लिये मांगी गयी जानकारियों में से किसी एक पर भी खरा नहीं उतरने की स्थिति में आगे के मूल्यांकन के संबंध में उस निविदादाता के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा । इतना ही नहीं 'मेनहर्ट' को उसके दो वर्ष के टर्न ओवर के आधार पर ही उसका औसत वार्षिक टर्नओवर 52.06 करोड़ रूपया तुलनात्मक विवरणी में लिखा गया है । जो स्पष्ट रूप से भ्रामक है और इसे केवल तकनीकी भूल कहने के बदले किसी षडयंत्र एवं साजिश का अंग भी माना जा सकता है ।

उल्लेखनीय है कि जिन चार निविदादाताओं के प्रस्ताव विचार के लिए स्वीकार किये गये थे, उनमें से एक वुर्शिल पार्टनर्स प्रा0लि0 ने भी केवल दो वर्षों का बिना अंकेक्षित टर्न ओवर दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था और उसे आगे के मूल्यांकन के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया, जबकि उसी तरह की स्थिति वाले मेनहर्ट प्रा0लि0 को केवल दो वर्षों के औसत टर्न ओवर के आधार पर योग्य ठहरा दिया गया । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि इस स्तर पर ही eugV dk Hkh of'ky ikVul ik0 fy0 dh gh rjg v;kX; Bgjk fn;k tkuk pkfg, Fkk vkj 'k"k cp nk fufonkvk dk gh fopkj d ;kX; ekuuk pkfg, Fkk A

इतना ही नहीं विशेष समिति द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन के अंतिम पृष्ठ पर इनमें से कतिपय आंकड़ों का उल्लेख किया गया है । विशेष समिति की दिनांक–31.3. 06 की बैठक की प्रोसिडिंग में भी इन आंकड़ों का जिक्र है तथा विशेष समिति ने इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बदले इसे टेक्निकल बिन्दु मान लिया है । और इसी तकनीकी पहलू की गहन जांच का निर्देश अपने प्रतिवेदन में दिया है । नगर विकास विभाग द्वारा उस तकनीकी पहलू पर जांच कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के रूप में रांची नगर निगम को आदेश दिया गया है कि मैनहर्ट परामर्शी के साथ रांची में सीवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण के बारे में एकरारनामा कर इसे कार्य करने का आदेश दे । समिति ने उस बैठक में तकनीकी समिति के इस प्रतिवेदन को भेजने का निर्देश विभाग को दिया था । तद्नुसार नगर विकास विभाग के अवर सचिव श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा इस उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन से नगर विकास विभाग संतुष्ट है । इस प्रतिवेदन की कंडिका–4 में प्रश्न खड़ा किया गया है कि क्या निविदा को तकनीकी मूल्यांकन में निहित वार्षिक व्यापार (40 करोड़) की समीक्षा आर.एफ.पी. (रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल) के अनुसार किया गया । उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का उत्तर है कि इसे गहन अध्ययन कर लिया गया है तथा तीनों ही निविदादाताओं द्वारा निर्धारित टर्न ओवर 40 करोड़ की सीमा पार कर लेने के कारण सभी को बराबर अंक दिये गये हैं, जबकि सभा की विशेष समिति के प्रतिवेदन (परि0–8) में परिशिष्ट–'ख' पर एक तुलनात्मक विवरणी इस बारे में रखी गई है, जिसके अनुसार इस उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का यह निष्कर्ष सरासर गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि समिति द्वारा इस बिन्दु की समीक्षा करते समय कोई गहन अध्ययन नहीं किया गया और पूर्व की तकनीकी समिति के निष्कर्षों को ही हू–ब–हू अपने प्रतिवेदन में रख दिया गया।

इसलिए कार्यान्वयन समिति ने यह निर्णय लिया कि दिनांक–4.8.06 को 2.00 बजे अप0 में समिति की बैठक में इस तथाकथित उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों को साक्ष्य के रूप में समिति के समक्ष बुलाया जाय । साथ ही रांची नगर निगम के प्रशासक की अध्यक्षता में गठित तकनीकी उप समिति, ने रांची नगर निगम के ज्ञापांक–1949 दिनांक–7.9.06 द्वारा निविदादाताओं की योग्यता और निविदा के तकनीकी मूल्यांकन के निहित वार्षिक व्यापार संबंधी तुलनात्मक विवरणी (परि0–8) तैयार कर नगर विकास विभाग को भेजा है, इस समिति के सदस्यों को भी 4 अगस्त को ही 3.00 बजे अप0 में कार्यान्वयन समिति की बैठक में साक्ष्य के रूप में बुलाया जाय ।

समिति के समक्ष सभा की विशेष समिति की अनुशंसाओं का नगर विकास विभाग द्वारा कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए जो तथ्य उभर कर सामने आये हैं, उनसे स्पष्ट है कि नगर विकास विभाग ने विशेष समिति की अनुशंसाओं को सही संदर्भ में लिये बिना और उसमें उल्लिखित तकनीकी बिन्दुओं की जांच को उचित परिप्रेक्ष्य में पूर्ण किये बिना ही आगे की कार्रवाई करते हुए मेनहर्ट परामर्शी के साथ एकरारनामा करने के लिए कार्यादेश जारी कर दिया । कार्यान्वयन समिति की नजर में नगर विकास विभाग का यह आदेश उचित नहीं प्रतीत होता है । ble dkbl 'kd ugh g fd eugVl ijke'kh d p;u dh ifd;k lgh ugh g vkj fufonk dh 'kRrk d vulkj eugVl ijke'kh iFke egjcn fyQkQk [kyu d lkFk gh v;kX; lkfcr gk tk jgk gA लेकिन अयोग्य होने के बाद भी किस परिस्थिति में इस परामर्शी के तकनीकी प्रस्ताव को खोलकर उस पर विचार किया गया । प्रथम चरण में ही अयोग्य हो जा रहे परामर्शी के तकनीकी प्रस्ताव की विस्तृत जांच की आवश्यकता समिति नहीं समझ पा रही है । मेनहर्ट के चयन के क्रम में नगर विकास विभाग द्वारा यह बात कही गई है कि जिस आधार पर मेगा स्पोटर्स कम्प्लेक्स की निविदायें तैयार की गई, उसी आधार पर रांची के ड्रेनेज एवं सिवरेज की निविदा भी तैयार की गई हैं, क्योंकि इस कार्य के लिए मेकॉन द्वारा काफी बड़ी राशि की मांग की जा रही थी । अतः समिति यह मानती है कि अगर इसकी पूर्ण तथा उपयुक्त समीक्षा होती है तो परामर्शियों के चयन में अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के संदर्भ में भविष्य के लिए उपयोगी मार्गदर्शक सिद्धान्त की नींव रखी जा सकती है ।

आगे समिति का मानना था कि समिति अभी तक कार्यवाही का संचालन अपनी भूमिका एवं अधिकार क्षेत्र की परिधि में रहकर किया है, लेकिन नगर विकास विभाग द्वारा सभा की विशेष समिति को जो तथ्य (कागजात) उपलब्ध कराये गये हैं, उसके

विश्लेषण से जो चित्र उभरकर आ रहा है, उसके सन्दर्भ में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस संबंध में समिति अलग से एक विशेष प्रतिवेदन सभाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करे । 'कॉल एंड शकधर' द्वारा संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के संदर्भ में लिखे गये ग्रंथ की पृष्ठ 751 पर सभा की किसी समिति के विशेष प्रतिवेदन देने की शक्ति का उल्लेख है, जिसे इस सन्दर्भ में निम्नांकित रूप में समिति द्वारा अंकित कराया गया ।

fo'k"k ifronu nus dh 'kfä %& ''समिति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि वह ठीक समझे, तो किसी ऐसे विषय पर, जो उसके कार्य के दौरान उत्पन्न हो या प्रकाश में आये और जिसे समिति अध्यक्ष या सभा, यथास्थिति के ध्यान में लाना आवश्यक समझे विशेष प्रतिवेदन दे सकती है, चाहे ऐसा विषय समिति के निदेश पदों से प्रत्यक्षतया संबंधित न हो अथवा उसके अंतर्गत नहीं आता हो या उनसे आनुषंगिक नहीं हो ।''

लेकिन इसी बीच दिनांक–4.8.06 की बैठक से पूर्व समिति के अधिकार क्षेत्र और तकनीकी समिति के सदस्यों को समिति के समक्ष बुलाने के निर्णय पर एतराज जताते हुए मंत्री, नगर विकास विभाग ने अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा को एक पत्र लिखा (परिशिष्ट–11) जिस पर अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा द्वारा समिति के सभापति को विमर्श करने के लिए निदेश दिया गया । इस आलोक में माननीय अध्यक्ष से समिति के सभापति का आवश्यक विमर्श हुआ । इसके पश्चात् समिति की दिनांक–4.8.06 की निर्धारित बैठक हुई, जिसमें समिति द्वारा प्रासंगिक पत्र और दोनों तकनीकी समिति के सदस्यों के बैठक में उपस्थित नहीं होने पर समिति द्वारा निम्नांकित विचार अंकित कराये गये –

"माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग का एक पत्र, जो माननीय सभाध्यक्ष को लिखा गया है, उसे माननीय सभा अध्यक्ष द्वारा सभापति कार्यान्वयन समिति को विमर्श के लिए भेज दिया गया । यह पत्र संचिका में रखा गया है। इस पत्र पर माननीय सभा अध्यक्ष से विमर्श हुआ । इस पत्र में मुख्य रूप से माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग का यह कहना है कि कार्यान्वयन समिति को विशेष समिति की अनुशंसा के क्रियान्वयन के बारे में विभाग द्वारा लिखित सूचना दे दी गयी है तथा उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का जांच प्रतिवेदन भी उपलब्ध करा दिया गया है । समिति को इस प्रासंगिक मामले में नगर विकास विभाग से और किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । अपने पत्र के कंडिका–3 में माननीय मंत्री ने कहा है कि कार्यान्वयन समिति का कार्यक्षेत्र

विधान सभा की समितियों द्वारा की गई अनुशंसाओं का संबंधित विभाग द्वारा क्रियान्वयन कराने का है । इसलिए समिति को मेनहर्ट परामर्शी के नियुक्ति के संबंध में निविदा के कथित मामले में गठित समिति के सदस्यों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने कंडिका–4 में कहा है कि कार्य करनेवाले पदाधिकारियों द्वारा कार्य के दौरान मानवीय भूल भी हो सकती है और बार–बार शारीरिक रूप से समिति के समक्ष उपस्थित होने पर उनकी कार्य के प्रति रूचि कम हो जाती है । संबंधित सभी पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से मेरे समक्ष इस बात की चिन्ता व्यक्त की है । इस पर समिति ने अपना मत व्यक्त करते हुए अंकित कराया कि, "कार्यान्वयन समिति के कार्य क्षेत्र के बारे में समिति वाकिफ है और अभी तक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही अपनी कार्यवाही का संचालन करती रही है । विगत 28 जुलाई की समिति की बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि विधान सभा की विशेष समिति की अनुशंसा क्या हैं । इस अनुशंसा में निहित तकनीकी पहलुओं की जांच कराने के बाद ही आगे की कार्यवाही करने की बात कही गयी है । चूंकि तकनीकी पहलुओं की जांच के नतीजे पर ही आगे की कार्रवाई निर्भर करती है इसलिए समिति दोनों तकनीकी समिति के सदस्यों से उनके मूल्यांकन के तरीके और निष्कर्ष के बारे में और विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के बारे में जानकारी चाहती है । वैसे विधान सभा के किसी भी समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि अपनी कार्यवाही के दौरान अगर कोई ऐसा विषय आता है जिसका संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रासंगिक विषय से है तो समिति इस बारे में अलग प्रतिवेदन भेज सकती है । विगत् 28 जुलाई की बैठक में समिति ने इस विषय पर अध्यक्ष महोदय से भी मार्गदर्शन की अपेक्षा की है । जहॉ तक कार्य करने वाले पदाधिकारियों द्वारा कार्य के दौरान मानवीय भूल करने की बात है, समिति यह स्पष्ट करना चाहती है कि समिति ने मेनहर्ट परामर्शी की योग्यता के संबंध में प्राप्त तथ्यों को विभाग और सभा अध्यक्ष के समक्ष रखा है । इन्हें मानवीय भूल के रूप में लेना सही नहीं है । या तो तकनीकी पदाधिकारियों ने जान–बूझकर तथ्यों की अनदेखी की है अथवा नगर विकास विभाग ने तकनीकी समितियों के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया है । विधान सभा की विशेष समिति के समक्ष नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में कहा गया है कि निविदा केवल दो मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की गयी थी (परि0–9) । एक तकनीकी और दूसरा वित्तीय जबकि निविदा प्रस्ताव (परि0–10) के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित है कि निविदा तीन मुहरबंद लिफाफों में प्रस्ताव के रूप में दी जायेगी । पहले मोहरबंद लिफाफे में निविदादाताओं

की योग्यता अंकित रहेगी और योग्यता के किसी भी मापदंड पर अगर निविदादाता का प्रस्ताव खरा नहीं उतरता है तो उसे आगे के किसी भी मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जायेगा । इस तथ्य को नगर विकास विभाग द्वारा विधान सभा की विशेष समिति के समक्ष रखे गये प्रतिवेदन में ओझल कर दिया गया है, जिसके कारण विधान सभा की विशेष समिति किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी। फलतः समिति ने अनुशंसा किया कि कतिपय तकनीकी पहलुओं की जांच आवश्यक प्रतीत होती है । इसलिए तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाय ।

माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा माननीय सभा अध्यक्ष को लिखे गये पत्र में यह कहा जाना कि बार–बार अनावश्यक रूप से समिति के समक्ष पदाधिकारियों को उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, उचित नहीं है । समिति द्वारा केवल एक बार नगर विकास विभाग के सचिव को उपस्थित होकर इस बारे में समिति के सामने वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था और दूसरी बार समिति ने आज के दिन प्रासंगिक दोनों समितियों के सदस्यों केा उपस्थित होकर अपने मूल्यांकन के बारे में समिति के सामने वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया था । ऐसी स्थिति में पदाधिकारी अगर विधान सभा की समिति के समक्ष उपस्थित होने के बारे में माननीय मंत्री के समक्ष चिन्ता व्यक्त करते हैं तो यह न केवल दुखद है, बल्कि उनकी कर्तव्यपरायणता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

समिति के समक्ष जो तथ्य हैं वे तथ्य उन्हीं कागजातों से जुड़े हैं, जिसे नगर विकास विभाग ने विधान सभा की विशेष समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था और जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों तकनीकी समितियों (निविदा मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी उप समिति और मुख्य समिति) की अनुशंसाओं के आधार पर आवश्यक जांच करने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने उस तथ्य पर विचार नहीं किया है, जिसके अनुसार मेनहर्ट परामर्शी को आरंभ में ही अयोग्य घोषित हो जाना चाहिए था और उसके निविदा प्रस्ताव का आगे मूल्यांकन नहीं होना चाहिए था। आज की बैठक में दोनों तकनीकी समिति के सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किए बिना भी समिति इस तथ्य को अंकित करा देना चाहती है। समिति माननीय अध्यक्ष महोदय से इस बारे में आवश्यक मार्गदर्शन चाहती है कि दोनों तकनीकी समिति के सदस्यों को कार्यान्वयन समिति के समक्ष कब बुलाया जाय ताकि समिति इस बारे में आगे की कार्रवाई कर सके।

समिति के उपर्युक्त निदेश के आलोक में दोनों तकनीकी समिति के सदस्यों को समिति की बैठक में बुलाने संबंधी माननीय अध्यक्ष महोदय का अपेक्षित मार्गदर्शन के संबंध में सभा सचिवालय द्वारा दिनांक–28.7.06 की बैठक की कार्यवाही में दर्ज कॉल एवं शकधर के ग्रंथ के पृष्ठ 751 का उद्धरण के साथ दोनों तकनीकी समितियों को बुलाने के संबंध में मार्गदर्शन हेतु संचिका माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थपित की गई । जिस पर तत्कालीन माननीय अध्यक्ष महोदय का सचिव से विमर्श करने का निदेश हुआ । 16.9.06 को संचिका सचिव के यहॉ से इस टिप्पणी के साथ वापस हुई कि नयी व्यवस्था के बाद संचिका वापस उपस्थापित करें । पुनः 30.10.06 को संचिका में माननीय अध्यक्ष का निदेश होने के बाद समिति की 7.11.06 की बैठक में उक्त दोनों तकनीकी समितियों के सदस्यों को समिति की आगामी बैठक (दिनांक–17.11.06) में बुलाने का निर्णय लिया गया । निर्णय के आलोक में माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशोपरांत तकनीकी उपसमिति को 17.11.06 को 11.30 बजे पूर्वा0 में एवं उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के विशेषज्ञ सदस्यों को 17.11.06 को 12.00 बजे मध्याह्न में बुलाने संबंधी सभा सचिवालय से क्रमशः पत्र संख्या–4943 दिनांक–11.11.06 एवं 4942 दिनांक–11.11.06 (परि0–12 एवं 13) भेजा गया ।

दिनांक–17.11.06 को 11.30 बजे पूर्वा0 में तकनीकी उप समिति के साथ समिति की बैठक हुई, जिसमें श्री के.पी.शर्मा, कार्यपालक अभियंता, विशेष कार्य प्रमंडल, श्री उमेश प्रसाद गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं श्री मुकेश कुमार गुप्ता, उपप्रशासक, रांची नगर निगम (वास्ते प्रशासक, रांची नगर निगम) उपस्थित हुए थे ।

समिति ने उक्त पदाधिकारियों से (श्री के.पी.शर्मा एवं श्री उमेश प्रसाद गुप्ता) से जानना चाहा कि आप दोनों उक्त तकनीकी उपसमिति के सदस्य थे, आपलोगों ने निविदा के आर.एफ.पी. का अध्ययन किया होगा तथा इसकी शर्त्तों का भी अध्ययन किया होगा । अध्ययन कर ही निविदा प्रस्तावों की तुलनात्मक मूल्यांकन विवरणी तैयार कर मुख्य समिति को भेजा होगा। उक्त तुलनात्मक विवरणी (परि0–8) में आपलोगों के द्वारा दिये गये तथ्यों के बारे में एक बार फिर आपसे जानकारी लेना समिति आवश्यक समझती है । दिनांक–7.9.05 को रांची नगर निगम के प्रशासक द्वारा मुख्य समिति के अध्यक्ष को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि तकनीकी समिति की दिनांक–17.8.05 की बैठक में लिये गये निर्णय का सन्दर्भ लिया जाय । इसके अनुसार समिति ने दिनांक–17.8.05 के निर्णय के आलोक में पुनः तुलनात्मक विवरणी तैयार किया । उक्त

तिथि 17.8.2005 की बैठक में समिति ने जो निर्णय लिया था, उसके आधार पर तुलनात्मक विवरणी तैयार हुई । समिति जानना चाहती है कि दिनांक–17.8.05 की बैठक में क्या निर्णय हुआ था? तब कार्यपालक अभियंता, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग का उत्तर था कि मुझे याद नहीं है । ऐसे में समिति द्वारा उन्हें आर.एफ.पी. (परि0–10) की कंडिका 1.2 की दूसरी पंक्ति देखने के लिए कहा गया, जो निम्नवत् है–

"A quality based procedure shall be followed for selection of technical proposal for the firm that meet the eligibility critera". आर.एफ.पी. के पृष्ठ संख्या–6 के बिन्दु–3 में कहा गया है कि जो भी प्रोपोजल देंगे, उसमें –1. Document in proofs of eligibility, 2. Technical Proposal और 3. Financial Proposal होगा ।

इसके बाद कंडिका 3.1, 3.1.1, 3.1.2 में इलिजीबीलिटी क्या–क्या होगी, उसके डिटेल्स क्या होंगे, यह सब दिया गया है । इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कौन–कौन से डॉक्यूमेंटस होंगे । आर.एफ.पी. की कंडिका 3.1.3 में कहा गया है कि, 'The minimum essential requirement in respect of eligibility has been indicated below. इसे पढ़ा गया । फिर इसके बाद इवैल्यूशन के बारे में कंडिका 4.1.1 में proof of eligibility, technical proposal, financial propasal के बारे में जिक्र है तथा पृष्ठ 10 पर कंडिका 5.1 में निम्नलिखित बातें हैं – 'A three stage procedure will be adopted in evaluating the proposal'. कंडिका 5.3 में है "In the first stage eligibility of the firm will be ascertained on the basis of experience certificate, firms turnover and equipments available with the firm as indicated in para 3.1" . इसी के सन्दर्भ में पुनः तुलनात्मक विवरणी तैयार की गई है, जिसे उप समिति के अध्यक्ष प्रशासक, रांची नगर निगम द्वारा मुख्य समिति को भेजा गया है । आर.एफ. पी. की जो शर्त्तें हैं, उनके मुताबिक ही दो पेज की विवरणी तैयार हुई है, जिस पर प्रशासक और आप दोनों तकनीकी पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं । उसमें पहला जो प्वाईंट है – ऐवरेज टर्न ओवर ऑफ दी लास्ट थ्री इयर्स । जिसमें आपलोगों ने जिन तीन वर्षों को इंगित किया है, वे तीन वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 है । इसका अर्थ यह है कि आप तकनीकी उपसमिति के सदस्यों ने आर.एफ.पी. के अनुसार

निर्णय किया है कि इन तीन वर्षों में जिनका टर्न ओवर 40 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हीं में से मेनहर्ट का परामर्शी के रूप में सलेक्शन हुआ है, जबकि मेनहर्ट के विवरण में तीसरे वर्ष 2004–05 के टर्न ओवर के संबंध में लिखा गया है 'नॉट एभलेबल' और ब्रायकेट में 2001–02 का विवरण संलग्न लिखा हुआ है । तीन साल को आर.एफ.पी. में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन तुलनात्मक विवरणी में 2002–03, 2003–04 और 2004–05 दिया गया है । आगे समिति ने माना कि जब इवैल्यूशन किया गया तो 2002–03, 2003–04 और 2004–05 को ही आर.एफ.पी. में दिये गये तीन वर्षों का टर्न ओवर और प्रोफिटेबिलिटी जांचने के लिए सलेक्ट किया गया है । इस पर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने कहा कि हमलोग के अनुसार यही फिक्स किया गया है, सर । तब समिति ने यह जानना चाहा कि 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 वर्षों को आप जब आधार मानते हैं और मैनहर्ट द्वारा दो वर्षों का ही विवरण दिया गया है तो एवरेज लेने में तीसरे साल का क्या आंकड़ा मान्य होगा? इस प्रश्न के उत्तर में कार्यपालक अभियंता, पे.ज. एवं स्वच्छता विभाग का उत्तर था कि मैनहर्ट ने एक वर्ष का विवरणी ही नहीं दिया है । समिति ने यह महसूस किया कि आर.एफ.पी. के अलावा कोई अन्य कागजात नहीं है जिसे आधार माना जा सके । किसी के लिए दो वर्षों का एवरेज तो किसी के लिए तीन वर्षों का एवरेज आपकी तुलनात्मक विवरणी में दिया हुआ है तथा आप सबों ने मेनहर्ट का केवल दो वर्षों के टर्न ओवर का एवरेज 52.06 करोड़ निकाला है और अन्य सबों का तीन वर्षों का निकाला गया है ।

समिति के इस प्रश्न पर कार्यपालक अभियंता का उत्तर था कि जितनी संख्या है उसे जोड़कर उसमें वर्ष से भाग देते हैं एवरेज के लिए तथा इसमें तीन साल से डिभाइड करना है । मेनहर्ट ने यहॉ दो साल का दिया तो डिभाइड तीन साल से करना था, लेकिन एवरेज दो साल का दो से ही डिभाइड करके इस डाक्यूमेंट में दिखाया गया है । इस पर कार्यान्वयन समिति ने मत व्यक्त किया कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा तथ्य छिपाया गया है ।

माननीय समिति ने जब यह कहा कि जब आप तुलनात्मक विवरणी के लिए औसत निकाल रहे हैं, तीन वर्ष का । इसके पहले कॉलम में अंकित है कि Average turn over of the last three years should be equal to or more than 40 crores तो एक वर्ष के आंकड़े का उल्लेख नहीं रहने पर उस वर्ष का आंकड़ा शून्य माना जाना चाहिए था । इस पर कार्यपालक अभियंता का उत्तर था कि शून्य हो

सकता है । हमलोगों ने यह फैक्ट एवं फीगर मुख्य समिति के समक्ष रखा था । जिसने तीन साल का एवरेज दिया, उसे तीन साल कर दिया गया । फिर जो दो साल का विवरणी दिया था उसका दो ही साल का एवरेज किया गया । कार्यपालक अभियंता ने यह भी माना कि जो मीटिंग प्रशासक, रांची नगर निगम के साथ हुई थी उसमें दो साल का एवरेज निकालने की बात तय की गई थी । इस पर कार्यान्वयन समिति द्वारा उस मीटिंग संबंधी संचिका को देखने की बात कही गई । यह संचिका समिति के समक्ष नहीं रखी गयी ।

कार्यान्वयन समिति ने यह माना कि 40 करोड़ या उससे अधिक होने पर फर्म की इलिजिबिलिटी होती, लेकिन तीन वर्ष का एवरेज निकालने पर मेनहर्ट का एवरेज 40 करोड़ से कम अर्थात् 34.70 करोड़ ही एवरेज आता है । ऐसे में मेनहर्ट अयोग्य हो जाता है । समिति ने माना कि आप सबों के स्तर से ही मैनहर्ट का दावा खारिज कर दिया जाना चाहिए था । तकनीकी उपसमिति ने जो विवरणी तैयार की है और मुख्य समिति को भेजा है, तो प्रशासक (तकनीकी उपसमिति के अध्यक्ष होने के नाते) की जिम्मेवारी थी कि इसकी समीक्षा भी मुख्य समिति के पास भेजी जाती और प्रशासक के नाते अपना कॉमेन्ट भी नगर विकास विभाग को भेजते । इस पर कार्यपालक अभियंता का उत्तर था कि हॉ, मैं इस बात से सहमत हूँ ।

समिति के एक और प्रश्न पर कि अगर आप ही को निर्णय लेना होता तो आप क्या निर्णय लेते इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार तो इस पर कार्यपालक अभियंता का उत्तर था कि जो बैठक हुई थी उसमें मार्किंग के आधार पर मैथेमैटिकली क्राइटेरिया दिया गया ।

कार्यान्वयन समिति ने यह माना कि तकनीकी उपसमिति के द्वारा एक तुलनात्मक विवरणी मुख्य समिति को भेजी गई और विवरणी पर निर्णय लेकर चार में से तीन को योग्य मानकर पुनः इस विषय को आपके पास दुबारा टेक्नीकल इवैल्यूऐशन हेतु भेज दिया गया । इसमें जो तीन फर्म थे उन्हें अलग–अलग मार्किंग दिया गया । जो इलिजिबिलिटी है इवैल्यूशन के लिए उसको प्रशासक महोदय ने नहीं तय किया । आपके अनुसार निर्णय मुख्य समिति को लेना था । कार्यपालक अभियंताओं ने पुनः इस पर अपनी सहमति जाहिर की ।

जब समिति ने पुनः यह जानना चाहा कि जो उपसमिति बनाई गई थी, उसका दायित्व क्या था तो इस पर कार्यपालक अभियंता का उत्तर था कि हमलोगों ने कहा है

We will not take any decision. बिना कंसेप्शन तैयार किये हमलोग कोई डिसिजन नहीं कर सकेंगे । समिति ने पुनः यह जानना चाहा कि आपने तुलनात्मक विवरणी तैयार कर भेज दिया, उसके बाद पुनः टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए आपके पास प्रोपोजल आया तो इस पर अध्यक्ष महोदय का क्या निर्देश था । अध्यक्ष महोदय यहॉ पर उपस्थित हैं । तब कार्यपालक अभियंता का उत्तर था कि दिनांक–17.9.06 की बैठक में सचिव महोदय स्वयं उपस्थित थे, उक्त बैठक में जो निर्णय हुआ वहीं निर्णय हमलोगों के पास आया था ।

जब समिति ने पुनः यह जानना चाहा कि जो क्राइटेरिया था उसी के आधार पर टेक्निकल इवैल्यूएशन हुआ और क्या उसी आधार पर निर्णय हुआ कि इन परामर्शियों में से कौन योग्य हैं? तो इस पर कार्यपालक अभियंता का उत्तर था कि ''वो अलग–अलग हैं । उसमें बहुत सारे कागजात हैं ।''

तब समिति ने निदेश दिया कि अगर आवश्यकता हुई तो तकनीकी उपसमिति से कार्यान्वयन समिति दोबारा बात करेगी सभी टेक्निकल प्वाईंट्स पर । साथ ही नगर निगम यह जानकारी मेनहर्ट परामर्शी से प्राप्त करे कि उसके इस प्रोजेक्ट में कौन–कौन विशेषज्ञ काम कर रहे हैं? कितना वर्क फोर्स कार्यरत हैं? अभी तक ने सरकार ने मैनहर्ट को कितना भुगतान किया है? समिति को ये सारी सूचनाएं अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध करा दिये जाय । ये सूचनायें समिति को उपलब्ध नहीं करायी गयी ।

पुनः दिनांक–17.11.06 को 12.00 बजे मध्याह्न में कार्यान्वयन समिति की बैठक, उच्चस्तरीय तकनीकी जांच संबंधी समिति के सदस्यों के साथ प्रारम्भ हुई, जिसमें श्री धूरन उरांव, अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, तत्कालीन मुख्य अभियंता, आर0आर0डी0ए0 एवं संयोजक, उच्चस्तरीय तकनीकी समिति तथा श्री निर्मल कुमार केडिया, अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची ने भाग लिया ।

माननीय समिति के समक्ष जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा मुख्य अभियंता ने उक्त प्रतिवेदन की अनुशंसा को संक्षिप्त रूप में पढ़ा :– रांची नगर स्थित सिवरेज ड्रेनेज परियोजना की उच्चस्तरीय तकनीकी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि परामर्शी की नियुक्ति में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन हुआ है । पारदर्शिता अपनाते हुए सभी को इस कार्य में भाग लेने का अवसर दिया गया है । तकनीकी उपसमिति ने सभी प्रस्तावों को स्वतंत्र रूप से आर.एफ.पी. में निहित शर्त्तों एवं सभी

निविदादाताओं का मूल्यांकन विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया है । निगोसिएसन की प्रक्रिया भी पारदर्शी रही है तथा निविदा का दर भी कार्यभार एवं निर्धारित समय सीमा के आलोक में इकोनोमिकल एवं व्यावहारिक प्रतीत होता है ।

जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या आप तीनों पदाधिकारी, संयोजक द्वारा कही गयी उपर्युक्त बातों से सहमत हैं तो उनका उत्तर 'हाँ' में था । जब समिति ने यह जानना चाहा कि तकनीकी समिति का अधिकार क्या है तथा समिति को किन–किन चीजों पर विचार करना था? इस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि हमें सब कुछ देखना था । समिति के इंगित करने पर कि आर.एफ.पी. के पृष्ठ सं0–6 की कंडिका 3 में प्रिपरेशन ऑफ प्रोपोजल है । आर.एफ.पी. के पेज–4 की कंडिका–1.2 के अनुसार जो टेंडर निकाला गया, वह वर्ल्ड बैंक के क्यू.बी.एस. पद्धति पर निकाला गया है । यह आपकी रिपोर्ट में भी है । तब मुख्य अभियंता द्वारा कंडिका 1.2 एवं कंडिका–1.1.3 को निम्नवत् पढ़ा गया –

"A quality based procedure shall be followed for selection of technical proposals for the firms that meet the eligibility criteria. The minimum essential requirement in respect of eligibility has been indicate below. Proposal deficient in any of these requirements will not be considered for further evaluation."

माननीय समिति द्वारा स्पष्ट किया गया कि जो ,fyftfcfyVh ØkbVfj;k fn;k x;k g] mles vfdr g fd fufonk iLrko bfyftfcfyVh dkbVfj;k d fdlh Hkh ,d fcUnq ij lgh ugh g rk mldk boY;q,'ku vkxs ugh gkxk A समिति द्वारा तथा मुख्य अभियंता को आर.एफ.पी. के पेज–9 की कंडिका 4.1.1 तथा पेज–10 की कंडिका–5.1 तथा 5.3 पढ़ने के लिए कहा गया जो इस प्रकार था, " This outer envelope will contain three separate envelopes, one clearly marked "Proof of eligibility", second as " Technical proposal" and the third clearly marked "Financial proposal". A three-stage procedure will be adopted in evaluating the proposal. In the first stage, eligibility of the firm will be ascertained on the basis

of experience certificates, firms turnover and equipments available with the firm as indicated in para 3.1.

समिति द्वारा पुनः यह कहा गया कि " Average annual turnover of the firm in last three years should be equal to or more than 40 crores and the firm must earn continuous profit in last three years, ये मेन क्राइटेरिया है । रांची नगर निगम के प्रशासक, जो टेक्निकल उप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कम्परेटिव चार्ट बनाकर मुख्य समिति के पास भेजा, जिसके पहले पेज के पहले कॉलम में लिखा है कि ऐनुअल एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट थ्री इयर्स 40 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए । लेकिन मेनहर्ट ने केवल दो वर्ष का ही वांछित विवरण दिया है । इस पर मुख्य अभियंता का उत्तर था कि, ''ये जो हमारी कमिटि में आया है, उससे हम डिफर कर रहे हैं ।'' इस पर समिति ने यह कहा कि मैनहर्ट के द्वारा वर्ष 2004–05 का विवरण नहीं दिया गया था तो मैनहर्ट टेंडर में भाग लेने के योग्य नहीं था और आगे इस पर विचार नहीं होना चाहिए था । तब मुख्य अभियंता ने माना कि एन.आई.टी. में थोड़ी सी गलती हुई है ।

माननीय समिति ने यह महसूस किया कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के प्रतिवेदन में क्यू.बी.एस. पद्धति के पक्ष में बहुत से तर्क दिये गये हैं लेकिन इवैल्यूएशन थ्री स्टेज में हुआ इसका जिक्र उक्त प्रतिवेदन में नहीं है । जब आप सबों ने आर.एफ. पी. के तथ्यों को पढ़ा है, उसके प्रोपोजल मूल्यांकन प्रक्रिया से अवगत हैं तो जिम्मेवारी आपकी बनती है । जब संयोजक सह मुख्य अभियंता ने इस पढ़ लेने का उल्लेख कर रहे हैं तो इसे प्रतिवेदन में क्यों नहीं शामिल किया गया? प्रतिवेदन के प्रथम पृष्ठ की कंडिका–1 की उपकंडिका में मूल्यांकन प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि निविदादाताओं को कि किस आधार पर एवं किन–किन बिन्दुओं पर कितने अंक प्राप्त होंगे? आपने तो लगता है उस पर विचार ही नहीं किया है और समिति के समक्ष आप उन बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं जिसका एक्सप्लानेशन समिति नहीं पूछ रही है, इससे तो यही साबित होता है कि आपके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन तटस्थ नहीं हैं ।

समिति द्वारा उक्त तथ्यों का उद्‌भेदन किये जाने पर मुख्य अभियंता–सह–संयोजक ने यह माना कि हमलोगों से गलती हो गई । इसके बाद समिति ने कहा, '' आपने जो प्रतिवेदन दिया तथा विधान सभा की विशेष समिति के

सामने विभाग ने जो कागजात दिये हैं, उनमें निविदा का जिक्र हैं''। इस संबंध में मुख्य अभियंता द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा गया कि आर.एफ.पी. के पेज–4 की कंडिका–1.2 को देखा जाए तो समिति ने कहा कि यह आपसे पहले ही पढ़वाया जा चुका है । पुनः समिति ने जानना चाहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार इसमें इरेगुलरिटी कहॉ है? इस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि प्रोपोजल दो ही तरह का मांगा गया था एक टेक्निकल तथा एक फाइनेंसियल । तो इस पर समिति ने कहा कि आप एक ही लाइन पढ़ रहे हैं । तब मुख्य अभियंता द्वारा कंडिका–3 पढ़ा गया । इस पर समिति ने अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए कहा कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने तटस्थतापूर्वक अध्ययन नहीं किया है और विशेष समिति के सामने जो तथ्य रखे गये उनका जिक्र तो आपने किया ही नहीं । जैसे– वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 में से जब मेनहर्ट का 2004–05 का डिटेल नहीं है, तो इसका औसत आप कैसे निकालेंगे ? तो मुख्य अभियंता का उत्तर था कि जी.के.डब्ल्यू का एक और टेंडर है, जिसमें 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 का दिया गया है । इस पर समिति ने कहा कि जी.के.डब्ल्यू की बात यहॉ नहीं आती है, तो इसका चर्चा आप क्यों कर रहे हैं । आपने अपनी रिपोर्ट में तो इसका जिक्र नहीं किया है । अब समिति का वक्त जाया न करते हुए आप अपने प्रतिवेदन की कंडिका 3एवं 4 पढ़िये । मुख्य अभियंता द्वारा कंडिका 3 एवं 4 पढ़ा गया तथा मुख्य अभियंता ने माना कि तकनीकी उप समिति के द्वारा एक ही अंक दिया गया है । इस पर समिति ने जानना चाहा कि यह अंक किसने दिया है ? उस पर मुख्य अभियंता का उत्तर था कि तकनीकी उपसमिति ने । इस पर समिति ने पूछा कि उपसमिति ने तो यही अंक दिया है न? टेक्निकल उप समिति के बारे में आपने अपने जांच प्रतिवेदन में कहा है कि इसमें गहन अध्ययन कर सभी को निर्धारित अंक दिया गया है । आप मानते हैं कि तकनीकी उप समिति द्वारा जो तथ्य रखे गये हैं, वे गहन अध्ययनोपरांत रखे गये हैं ? यह मूल्यांकन चार्ट 7 सितम्बर, 2005 को तकनीकी उप समिति द्वारा मुख्य समिति को भेजा गया है। आप देख लीजिए कि आपके अनुसार किये गये गहन अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ? अपनी रिपोर्ट की कंडिका '4' में आपने लिखा है कि आर.एफ.पी. के अनुसार निर्धारित तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर 40 करोड़ की सीमा पार कर लेने के कारण सभी को बराबर अंक दिये गये हैं ।

समिति ने कहा कि आप यह भी बतायें कि आपकी समिति जब गठित हुई और विभाग द्वारा जो कागजात आपकी समिति को उपलब्ध कराये गये थे उनमें तकनीकी

उपसमिति द्वारा तैयार की गई तुलनात्मक विवरणी थी या नहीं? इस पर मुख्य अभियंता का उत्तर था हमलोगों को केवल इवैल्यूएशन चार्ट ही मिला था, तुलनात्मक विवरणी नहीं । पुनः समिति ने कहा कि आपने अपने कंडिका–4 में लिखा है कि गहन अध्ययन कर मूल्यांकन किया गया है और सभी को निर्धारित अंक दिये गये हैं, तो समिति जानना चाहती है कि जब तुलनात्मक विवरणी आपको उपलब्ध ही नहीं कराया गया तो आपने उस पर कैसे विचार किया । इस पर उस बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियंता (श्री निर्मल केडिया) का भी कहना था कि तुलनात्मक विवरणी उन्हें नहीं उपलब्ध कराया गया ।

माननीय समिति ने जब यह पाया कि नगर विकास विभाग द्वारा गठित इस उच्च स्तरीय तकनीकी जांच समिति ने क्यू.बी.एस. पद्धति की अपने प्रतिवेदन में काफी प्रशंसा की है तथा उसे सर्वोत्कृष्ट ठहराया है तथा प्रतिवेदन में लिखा है कि जटिल एवं विशिष्ट कार्यों के लिए टी.ओ.आर. बनाना एक कठिन कार्य है । कंडिका–3 पर तकनीकी विषय का यह मुख्य बिन्दु है । तब समिति ने संयोजक सह मुख्य अभियंता से यह जानना चाहा कि जब विश्व बैंक की चयन प्रक्रिया को अपनाया गया तो उसके मार्गदर्शिका का पालन हुआ अथवा नहीं । अपने प्रतिवेदन में अंकित इन 11 बिन्दुओं को आपने कहाँ से निकाला? तब मुख्य अभियंता का उत्तर था कि उन 11 बिन्दुओं को मार्गदर्शिका से निकाला गया था ।

इस पर समिति का कहना था कि मार्गदर्शिका में तो ये बिन्दु नहीं हैं। जब आपने परामर्शी के रूप में मेनहर्ट के चयन को अपने प्रतिवेदन में सही ठहरा ही दिया था तो इसको और सही ठहराने की क्या आवश्यकता थी ? अब आप बताइये कि इसके अतिरिक्त और भी कोई मार्गदर्शिका सरकार ने दिया है अथवा नहीं? तब मुख्य अभियंता का उत्तर था कि नहीं दिया गया है ।

इस पर समिति ने उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के एक अन्य सदस्य श्री निर्मल कुमार केडिया, अधीक्षण अभियंता से जानना चाहा कि इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस पर श्री केडिया ने स्पष्ट किया कि उसी दिन मेरी मां का देहान्त हो गया था और उस दिन हम थोड़ा उलझे हुए थे, लेकिन इस फाईल को मेरे द्वारा देखा गया है । इसमें एलिजिबिलिटी का मूल्यांकन दिया गया है, सबों के लिए एक ही है । आगे समिति ने मुख्य अभियंता से जानना चाहा कि क्यू.बी.एस. पद्धति में व्यय अधिक रहने की संभावना रहती है या नहीं? आपके प्रतिवेदन में अनु0–1 का जिक्र है, यह अनु0–1 क्या है? तो इस पर मुख्य अभियंता ने बताया कि अनु0–1 मेरे पास है, जो तकनीकी

उपसमिति की तुलनात्मक विवरणी थी । तब इस पर समिति ने कहा कि पहले आपने कैसे कहा कि इस तुलनात्मक विवरणी को नहीं देखा है और यह उपलब्ध नहीं करायी गयी । तब समिति ने यह जानना चाहा कि अनुलग्नक–2 क्या है? इस पर समिति को बताया गया कि अनु–2 मेनहर्ट से संबंधित है । आगे समिति ने पूछा कि क्या मूल्यांकन की सभी प्रक्रियाओं पर बात हुई है, क्योंकि आपको इसका चार्ट तो नहीं दिया गया है । इस प्रश्न पर मुख्य अभियंता का जवाब था कि हम इस संबंध में थोड़ा डिफर करते हैं। तब समिति ने पुनः प्रश्न किया कि कभी आप कहते हैं कि कागजात नहीं मिला है, कभी कहते हैं कि डिफर करते हैं । जब आपको कागजात ही नहीं मिला तो डिफर कैसे किया? इसी क्रम में श्री धूरन उरांव, अभियंता प्रमुख की ओर इशारा करते हुए समिति ने उनसे जानना चाहा कि उच्च स्तरीय तकनीकी समिति जो कह रही है, उससे आप संतुष्ट हैं या डिफर कर रहे हैं । इस पर अभियंता प्रमुख का उत्तर था कि जिस दिन रिपोर्ट देना था उसके एक दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि मुझे इसका सदस्य बनाया गया है । उन्होंने संयोजक की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये हमारे सीनियर रहे हैं, इन्होंने जो लिखा था उसको मुझे एक्सप्लेन किया । समिति ने इस पर जानना चाहा कि आपके अनुसार प्रतिवेदन देने से एक दिन पूर्व आपको सूचित किया गया । चूंकि संयोजक आपके वरीय रह चुके थे, इसलिए उन्होंने जो बताया, उसको सही मानकर आपने हस्ताक्षर कर दिया । तब अभियंता प्रमुख ने समिति को बताया, नहीं, समय नहीं रहने के कारण रिपोर्ट देने के एक दिन पहले हमको मालूम हुआ लेकिन हम इसको देखे हैं और उसके बाद ही संतुष्ट हुए हैं ।

समिति ने आगे उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक, श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा से प्रश्न किया कि आर.एफ.पी. के अनुसार विगत पांच वर्षों में मैनहर्ट के एक्सपिरियन्स के संबंध में 300 करोड़ का कार्य करने के अनुभव के संबंध में समीक्षा ठीक ढ़ंग से की गई है या नहीं? जिसमें पहला है इंडोनेशिया का एक बिन्टान प्रोजेक्ट 200 मिलियन डॉलर का है जिसका रिपोर्ट वर्ष 1997 से 2000 के बीच है । समिति ने यह महसूस किया कि मैनहर्ट के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट गलत भी हो सकता है तथा यह भी कि मैनहर्ट ने ही पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया अथवा इसके कुछ पोर्शन को, इस निविदा में कंसलटेंसी फीस कितनी थी और वह राशि 300 करोड़ हो रही है अथवा नहीं । क्योंकि मैनहर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि यह प्रोजेक्ट 97 मिलियन डॉलर का था और यह सारा काम मेनहर्ट ने किया है या नहीं । इस पर मुख्य अभियंता का उत्तर था कि मैनहर्ट ने लिखित दिया है कि वह खुद किया है । समिति ने कहा कि मेनहर्ट ने

बहुत बड़ा–बड़ा काम किया होगा, 300 करोड़ से ज्यादा और कम का भी किया होगा या यह भी हो सकता है कि उसमें से एक–तिहाई कार्य किसी दूसरी कम्पनी द्वारा किया गया होगा । तब मुख्य अभियंता का उत्तर था कि इस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया । इस पर समिति ने जानना चाहा कि वह जो कुछ भी सर्टिफिकेट दिया है, उसके भेरीफाई आपके द्वारा किया गया है अथवा नहीं या आप यह महसूस करते हैं कि सरकार द्वारा इसे सही मान लिया गया है, इसलिए आपको भी इसे सही मानने में कोई कठिनाई नहीं है । इस पर मुख्य अभियंता सह संयोजक का उत्तर था ''जी महोदय'' ।

आगे समिति ने कहा कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति को इस मूल्यांकन में उल्लेख है कि तकनीकी समिति को पूरे कागजात उपलब्ध कराने में पूरी पारदर्शिता बरती गई है । इस पर मुख्य अभियंता का उत्तर था कि दो टेक्निकल बीड दिया है और इसके पहले जो हुआ है वह नहीं पता है । इस जवाब के साथ अधीक्षण अभियंता का जवाब था कि '' महोदय, मेरा कहना है कि जो पारदर्शिता की बात हमने कही है, वह तकनीकी मूल्यांकन से संबंधी चीजों के बारे में है और अन्य जो क्राइटेरिया था जैसे परामर्शी की योग्यता, चूंकि इसके बारे में प्रासंगिक कागजात हमारे समक्ष नहीं आये थे, इसलिए प्रतिवेदन में वो बात आई ।

इसके बाद समिति ने उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का ध्यान तकनीकी मूल्यांकन की चार्ट (परि0–14) की ओर आकृष्ट करते हुए जानना चाहा कि इसमें श्री शशिरंजन कुमार ने जी.के.डब्लू. के बारे में 80.77 अंक दिया है जबकि श्री के.पी.शर्मा, कार्य0 अभियंता, भवन निर्माण एवं श्री उमेश कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता ने क्रमशः 49.89 और 63.47 अंक दिया है । रिपोर्ट में एक ही प्रकार के तथ्यों के मूल्यांकन के संबंध में इतना अंतर कैसे है ? इस ओर आपका ध्यान गया था कि नहीं? आपके रिपोर्ट के अनुसार आपने इसका गहन अध्ययन किया है । इस पर मुख्य अभियंता–सह–संयोजक ने इसे स्वीकार करते हुए बताया कि दोनों का मूल्यांकन इन्टायरली ठीक है, लेकिन 80 और 49 का यह अंतर ज्यादा है । यह कुछ उल्टा दिख रहा है, इस ओर ध्यान नहीं गया । इस पर समिति ने कहा कि आपने तकनीकी मूल्यांकन चार्ट में अंकित सभी चीजों का अध्ययन किया होगा । एक ही कम्पनी के संबंध में मार्किंग में दो मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा 81 और 50 अंक दिये गये हैं, यानी इनमें 31 अंक का अंतर है, तो इतने बड़े अंतर की ओर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि अंतर तो काफी कम अंकों का होना चाहिए। इस पर मुख्य अभियंता ने स्वीकार करते हुए कहा –''जी महोदय'' ।

फिर समिति ने कहा कि एक और प्रतिवेदन मैनहर्ट के बारे में तीनों ने दिया है और उसमें भी अंतर है । दो व्यक्तियों द्वारा किये गये मूल्यांकन में एक ने मैनहर्ट को अधिकतम अंक दिया है, वहीं पर एक अन्य ने न्यूनतम दिया है । एक को छोड़कर तीनों ने कितना–कितना दिया । पहले मूल्यांकन कर्त्ता ने मैनहर्ट, सिंगापुर को 78.59, 74.84 दिया है, वहीं पर दूसरे ने उसी को 90.45, 92.66 दिया है । इस हिसाब से देखा जाय तो काफी का अंतर हो जाता है । यह प्रशासक और कार्यपालक अभियंता का मूल्यांकन है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या इसमें पारदर्शिता बरती गई? आपके प्रतिवेदन में पारदर्शिता शब्द दुहराया गया है, लेकिन मूल्यांकन चार्ट (परि0–14) में पारदर्शिता कहीं नहीं दिखाई देती है । विधान सभा समिति ने जितना भरोसा करके आपसे जांच प्रतिवेदन सौंपने को कहा था, आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं । जो प्रतिवेदन आपलोगों ने तैयार किया है, वह प्रतिवेदन स्तरीय नहीं है। इसमें आपलोगों ने अनावश्यक रूप से सरकार के निर्णय का बचाव करने का प्रयास किया है और 'हर स्तर पर मुख्य अभियंता–सह–संयोजक द्वारा चयन प्रक्रिया की इतनी प्रशंसा की गई है जो इसके लिए आवश्यक नहीं प्रतीत हो रही है । यहाँ पर इस संदर्भ में आपने केवल सरकार की अच्छाईयां ही दिखाई है, भाईटल फैक्ट को आपने छुपा दिया है ।

इसके बाद समिति ने इस उच्चस्तरीय तकनीकी जांच समिति के गठन के संबंध में जानना चाहा और पूछा कि आपको जांच के लिए कब निर्देश मिला था, इस पर मुख्य अभियंता–सह–संयोजक का जवाब था कि 24.5.06 को निर्देश मिला था और हमने 28.5.06 को प्रतिवेदन दे दिया । इस पर समिति ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मात्र 3 दिनों में प्रतिवेदन तैयार हो गया ! समिति ने जानना चाहा कि क्या सरकार की ओर से शीघ्र प्रतिवेदन देने के लिए कोई दबाव था या आपने कर्त्तव्यपरायणता की दृष्टि से इतनी जल्दी प्रतिवेदन सौंपा । फिर समिति ने प्रश्न किया कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की कितनी बैठकें हुईं और अलग–अलग फाईल बनाकर तीनों सदस्यों को आपके द्वारा कागजात भेजा गया था अथवा नहीं । इस पर अभियंता प्रमुख (श्री धूरन उरांव) का जवाब था कि '' नहीं भेजा गया था । सभी कागजात संयोजक के पास थे''। इस पर मुख्य अभियंता (श्री सिन्हा) द्वारा बताया गया कि एक दिन फाईल हम छोड़ दिये थे । यह सुनने के बाद समिति ने पुनः जानना चाहा कि तीनों सदस्यों से आपका विमर्श हुआ? इस पर मुख्य अभियंता ने कहा, '' महोदय, श्री धूरन उरांव के यहॉ फाईल दि0–27.5.06 को दी थी, इस पर अभियंता प्रमुख (श्री उरांव) ने कहा कि मैंने रिपोर्ट पर

केवल दस्तखत किया है, संचिका नहीं दी गई थी और रिपोर्ट पर ही साईन करने को कहा गया था। ऐसी स्थिति में केवल प्वाइंट पढ़कर साईन कर दिया था ।

इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए समिति ने मुख्य अभियंता–सह–संयोजक से जानना चाहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय से संबंधित यह संचिका थी, इस पर विचार करने के लिये तथा अध्ययन–विश्लेषण करने के लिये आपको कितना समय मिला? इस पर मुख्य अभियंता–सह–संयोजक ने कहा कि नगर विकास विभाग में मैं पहले से था और इस विषय के बारे में मैं जानता था । इस उत्तर पर समिति ने कहा कि तब तो आपको संयोजक बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सरकार यह जानती थी कि आप उस विभाग में रह चुके हैं और सभी तथ्यों से अवगत हैं । ऐसी स्थिति में आप सरकार का बचाव कर सकते हैं । तो इस पर मुख्य अभियंता का कहना था कि पेपर (समाचार पत्र) में इसके बारे में जो बातें छपती रहती थीं, उसी को पढ़कर मुझे जानकारी होती थी । इस पर समिति ने कहा कि पेपर में तो इस बारे में केवल आलोचना ही निकलती थी,, लेकिन आपने तो रिपोर्ट में केवल प्रशंसा की है । आगे समिति ने कहा कि आपने तीन दिनों में ही रिपोर्ट तैयार कर दिया। अगर आप डिस्कशन करते तो कम से कम 3–4 दिन उसमें लगते कि नहीं ? फिर संयोजक के नाते रिपोर्ट तैयार करने में आपको कितना समय मिला? आपको तो मात्र एक–डेढ़ दिन ही मिला । इसका मतलब हुआ कि सदस्यों के बीच सहमति बनने के पूर्व ही यह रिपोर्ट तैयार थी ? सरकार द्वारा भी इसके पूर्व विधान सभा की विशेष समिति को एक प्रतिवेदन दिया गया है जिसमें यह निविदा केवल दो मुहरबंद लिफाफों में देने की बात कही गई है । इस संबंध में मुख्य अभियंता ने स्पष्ट किया कि जब फाईल दिया गया, उस समय भी इसमें दो ही चीज कहा गया था । इसका नहीं पता था कि तीन लिफाफा में निविदा आनी थी । इस पर समिति का कहना था कि आपने केवल दो दिन में रिपोर्ट तैयार करा दिया, इस जिम्मेदारी को आपने काफी हलके से लिया । यह विधान सभा से निर्देशित कार्य था। यह केवल सरकार का काम नहीं था । विधान सभा की समिति कोई बात कहती है तो सोच–समझ कर कहती है । विशेष समिति की अनुशंसा है कि तकनीकी पहलुओं की जांच करा लीजिए, सही है तो ठीक, नहीं तो मेनहर्ट को दिया गया कार्यादेश कैंसिल होना चाहिए । आपने तो इस प्रतिवेदन में मेनहर्ट को बचाने की भरपूर कोशिश की है । आप इस संबंध में तकनीकी समिति के संयोजक होने के नाते और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप इसके लिये स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रखिये । इस पर मुख्य

अभियंता ने कहा कि तकनीकी समिति के सामने दो ही प्रोपोजल थे, एक टेक्निकल तथा दूसरा फाइनेंशियल बीड । उसी की जांच की गई जो इस संचिका में आया था ।

इसके बाद समिति द्वारा दोनों तकनीकी समितियों से विचार–विमर्श के उपरांत उभरकर आए तथ्यों के संदर्भ में विचार–विमर्श करने हेतु सचिव, नगर विकास विभाग एवं प्रशासक, राँची नगर निगम को दिनांक 25.11.2006 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में बुलाने का निर्णय लिया गया ।

लेकिन 25.11.2006 की बैठक से पूर्व समिति द्वारा दिनांक 21.11.2006 को एक समीक्षात्मक बैठक रखी गयी, जिसमें वर्णित विषय पर दिनांक 25.11.2006 की बैठक दिनांक 01.12.2006 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में रखने का निदेश दिया गया । निदेश के आलोक में सचिव, नगर विकास विभाग एवं प्रशासक, राँची नगर निगम को सभा सचिवालय के पत्र संख्या–5149 दिनांक 24.11.2006 (परि0–15) द्वारा सूचित किया गया। इसके बाद कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 01.12.2006 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष, राँची में हुई, जिसमें श्री नरेश कुमार, उप सचिव, नगर विकास विभाग (वास्ते सचिव, नगर विकास विभाग) तथा श्री आर.एस. वर्मा, प्रशासक, राँची नगर निगम उपस्थित हुए । इसके बाद समिति ने जानना चाहा कि रांची नगर निगम से कोई आए नहीं हैं क्या ? इस पर उप सचिव, नगर विकास विभाग का उत्तर था कि हाईकोर्ट में उनका प्रेजेन्टेशन था इसलिए अभी नहीं आए है, लेकिन आएंगे । इसके बाद समिति ने कहा कि आपके सचिव का फोन आया था कि नहीं आ सकते हैं। बताया कि हमारे उप सचिव जायेंगे। सभी आवश्यक जानकारियों से समिति को अवगत कराये जाने का जिम्मा उन्हीं को सौंपा गया है । बैठक के आरंभ में उप सचिव, नगर विकास विभाग से समिति ने पूछा कि वे सचिव की ओर से वांछित सूचनायें देने में सक्षम हैं या नहीं ? उप सचिव द्वारा स्वीकारात्मक उत्तर देने के बाद समिति ने उनसे जानना चाहा कि 7 सितम्बर, 2005 को निविदा मूल्यांकन तकनीकी उप समिति द्वारा अध्यक्ष, मुख्य समिति को तुलनात्मक विवरणी भेजे जाने वाले पत्र में 17.08.2005 की एक बैठक का संदर्भ लिया गया है । क्या आप बता सकते हैं कि उस बैठक में तकनीकी उप समिति को क्या निर्देश दिया गया था ? इस पर सचिव ने बताया कि 17.08.2005 को माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में मुख्य समिति एवं तकनीकी उप समिति की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें निम्नांकित सदस्य थे :–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, श्री बी.के.सिंह,
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग श्री राहुल सरीन

3.	सचिव, भवन निर्माण विभाग	श्री डी.के.तिवारी
4.	प्रशासक, राँची नगर निगम	श्री शशि रंजन कुमार
5.	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग	श्री के पी. शर्मा
6.	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	श्री उमेश गुप्ता

समिति के निदेश के आलोक में दिनांक 17.08.2005 की बैठक की कार्यवाही (परि0–16) को उप सचिव द्वारा पढ़ा गया, जो निम्नांकित है :–

माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग के द्वारा समिति की अध्यक्षता में मुख्य समिति एवं तकनीकी उप–समिति के सदस्यों द्वारा निविदा से प्राप्त डाक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ मिनिमम एलिजिब्लिटी पर विचार–विमर्श किया गया । दिनांक 12.08.2005 को यह भ्यू लिया गया था कि किसी भी निविदादाता के लिए न्यूनतम एलिजिब्लिटी क्राईटेरिया के हिसाब से यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उसके द्वारा पिछले 5 वर्षों में 300 करोड़ रू0 की एक शहरी सिवरेज ड्रेनेज प्रणाली को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का कंसल्टेन्सी प्रदान किया गया है । आज की बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत इस भ्यू पर सहमति बनी कि अगर किसी निविदादाता के द्वारा सिवरेज अथा ड्रेनेज दोनों में से किसी भी घटक से संबंधित 300 करोड़ रूपये की परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर कार्य किया गया है, तो मान लिया जायेगा कि उस निविदादाता मे मिनिमम एलिजिबिलिटी के शर्त को पूरा कर लिया है । तकनीकी उप–समिति को यह निर्देश दिया गया है कि वे उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आधार पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन के उपरांत एक तुलनात्मक विवरणी मुख्य समिति के समक्ष उपस्थापित करें ।

समिति ने जानना चाहा कि इस बैठक में लिया गया निर्णय समिति का है या माननीय मंत्री द्वारा निदेशित है । उप–सचिव का उत्तर था कि माननीय मंत्री द्वारा हो सकता है, सर । समिति ने जानना चाहा कि इससे पहले 12.08.2005 की बैठक में क्या हुआ था ? इस पर उप सचिव ने उस बैठक की लिखित कार्यवाही (परि0–17) को पढ़ कर सुनाया, जो निम्नांकित हैं :–

fnukd 12-08-2005 dk jkph Mut ifj;ktuk d dk;kUo;u gr
vkef=r fufonk e ikIr iLrkok dh lfefr }kjk leh{kk gr vk;kftr
<u>cBd dh dk;okgh %&</u>

उपस्थिति :–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।
3. प्रशासक, राँची नगर निगम
4. मुख्य अभियंता, (सी0डी0ओ0), पथ निर्माण विभाग

आज दिनांक 12.08.2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे राँची नगर निगम के लिए समेकित सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कन्सलटेंट के चयन हेतु आमंत्रित निविदा में प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित कमिटि की एक बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में सरकार द्वारा गठित तकनीकी उप समिति के अध्यक्ष (प्रशासक, राँची नगर निगम) के द्वारा तकनीकी प्रस्तावों के आंशिक मूल्यांकन के उपरांत एक तुलनात्मक विवरणी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई । समिति के द्वार उक्त तुलनात्मक विवरणी पर विचार किया गया। यह पाया गया कि चारों मे से कोई भी निविदादाता बीड डॉक्यूमेंट में पूर्व से निर्धारित Essential minimum qualifying criteria को fulfill नहीं करते हैं । इस तरह उप समिति ने सभी निविदादाताओं के तकनीकी प्रस्तावों को Non-responsive पाया है । उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में समिति द्वारा राँची नगर निगम की समेकित सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित निविदाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि इस परियोजना के लिए पुनः निविदा आमंत्रित करने के पूर्व बीड डॉक्यूमेंट में यथा–वर्णित विभिन्न शर्त्तों में आवश्यक परिवर्तन (परिवर्द्धन) करना आवश्यक एवं वांछनीय होगा । समिति का यह भी मत है कि वर्तमान में बीड डॉक्यूमेंट में वर्णित इस अवधारणा कि निविदाओं का अंतिम निष्पादन निविदादाता के मात्र क्वालिटी के आधार पर किया जाय, में भी परिवर्तन करना वांछनीय एवं आवश्यक है, और उसके स्थान पर क्वालिटी एवं कॉस्ट दोनों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि झारखण्ड वित्तीय नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्णय लिया जा सके ।

समिति ने जानना चाहा कि क्या इससे पहले भी कोई बैठक हुई है ? इस पर उप सचिव ने बताया कि 04.08.2005 को एक बैठक हुई थी । समिति के निदेश पर उप सचिव ने इस बैठक की कार्यवाही (परि0–18) पढ़कर सुनाया, जो निम्नांकित है :–

fnukd 04-08-2005 dk jkph flojt&Mut ;ktuk d dk;kUo;u gr vkef=r fufonk e ikIr iLrkok dh lfefr }kjk leh{kk gr vk;kftr cBd

dh dk;Zokgh %&

उपस्थिति :–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।
3. सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।
4. प्रशासक, राँची नगर निगम ।
5. मुख्य अभियंता, सी0डी0ओ0, पथ निर्माण विभाग ।

आज दिनांक 04.08.2005 को अपराह्न 3.30 बजे राँची सिवरेज–ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित निविदा में प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा हेतु बैठक सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में विभाग स्तर पर गठित समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया ।

सर्वप्रथम सभी (कुल चार प्रस्ताव) निविदादाताओं द्वारा समर्पित तकनीकी प्रस्तावों का अवलोकन किया गया । विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों की समीक्षा पर विचार किया गया एवं सरकार द्वारा अनुमोदित के अनुसार अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया । विभिन्न निविदादाताओं द्वारा प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को मुख्य समिति के सहयोग हेतु गठित तकनीकी समिति के अध्यक्ष, (प्रशासक, राँची नगर निगम) जो मुख्य समिति के सदस्य भी हैं, को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया । साथ ही उनसे सरकार द्वार अनुमोदित Evaluation Criteria के अनुसार मूल्यांकन करने हेतु अनुरोध किया गया ।

समिति के अध्यक्ष (सचिव, नगर विकास विभाग) ने समिति के सभी सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु धन्यवाद दिया तथा सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक दिनांक 12.08.2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे होगी ।

समिति ने जानना चाहा कि क्या 17.09.2005 को भी कोई बैठक हुई थी ? उप सचिव ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया और समिति के निदेश पर उस बैठक की कार्यवाही (परि0–19) को पढ़कर सुनाया, जो निम्नांकित है :–

fnukad 17-09-2005 dks iz/kku lfpo] foRr foHkkx] >kj[k.M dh
v/;{krk esa jkaph lefdr flojst&Msust ifj;kstuk ds dk;kZUo;u ds
fy, xfBr eq[; lfefr dh cSBd dh dk;Zokgh %&

आज दिनांक 17.09.2005 को प्रधान सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में राँची शहर के लिए समेकित सिवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में तकनीकी उप समिति के अध्यक्ष (प्रशासक, राँची नगर निगम) द्वारा समर्पित तुलनात्मक विवरणी की समीक्षा हेतु एक बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में प्रधान सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त अधोलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए :–

1. श्री आर0 के0 श्रीवास्तव, सचिव, नगर विकास विभाग ।
2. श्री डी0 के0 तिवारी, सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग ।
3. श्री शशिरंजन कुमार, प्रशासक, राँची नगर निगम–सह–अध्यक्ष तकनीकी उप समिति ।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तकनीकी उप–समिति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित Evaluation Criteria के आलोक में चयनित तीनों निविदादाताओं के द्वारा समर्पित तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन प्रतिवेदन/विवरणी मुख्य समिति को समर्पित करें ।

समिति ने उप सचिव से जानना चाहा कि क्या इस बैठक में 7 सितम्बर, 2005 को तकनीकी उप समिति द्वारा तैयार कर भेजा गया तुलनात्मक प्रतिवेदन (परि0–8) को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया, तो उन्होंने इसका उत्तर हाँ में दिया । समिति ने उपसचिव से कहा कि ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकल रहा है कि दिनांक 17.8.2005 की बैठक में योग्यता मापदंड में फेरबदल किया गया और परिवर्तित मापदण्ड के आधार पर तकनीकी उपसमिति के तुलनात्मक मूल्यांकन को मुख्य समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। समिति ने उप सचिव को बताया कि विधान सभा की विशेष समिति द्वारा दी गयी अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में नगर विकास विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक ने 17.11.2006 को समिति की बैठक में बताया कि तकनीकी उप समिति द्वारा तैयार तुलनात्मक मूल्यांकन और योग्यता निर्धारण मापदण्ड संबंधित कागजात उन्हें विभाग द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया था । इस पर उप सचिव ने कहा कि उन्हें यह कागजात उपलब्ध कराया गया था । समिति ने उप सचिव को उच्च स्तरीय तकनीकी समिति से की गई पूछताछ का संक्षिप्त विवरण बताया और उनका मंतव्य जानना चाहा, तो उप सचिव ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है । इस समिति ने उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक के संबंध में अपना मंतव्य निम्न रूप में अंकित कराया :–

"प्रासंगिक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के 3 सदस्य विगत् 17 नवंबर, 2006 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे । उस समिति के संयोजक श्री एस0पी0 सिन्हा, तत्कालीन मुख्य अभियंता, आर0आर0डी0ए0 ने समिति के समक्ष इस संबंध में इन तीनों विशेषज्ञों द्वारा दिए गये मंतव्य के बारे में और समिति द्वारा इनसे की गई पृच्छाओं के बारे में नगर विकास विभाग को सूचित किया गया है । इनके मंतव्य समिति की बैठक की कार्यवाही में अंकित है जिससे स्पष्ट होता है कि समिति के एक सदस्य श्री घूरन उरांव को संचिका भेजी गयी । उन्हें संचिका दिखायी गयी और रिपोर्ट पर ही साईन करने को कहा गया । एक अन्य सदस्य श्री केडिया ने भी कहा कि उनकी माता जी के देहान्त के कारण पूरा समय नहीं दे सके थे । एक दिन संचिका देखकर संतुष्ट हुए । इस उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक द्वारा समिति के समक्ष दिए गए मन्तव्य परस्पर विरोधी भी हैं । यह सिद्ध करता है कि उनके द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण है । तथ्यों को ध्यान में रखे बगैर तैयार किया गया है । समिति के अन्य दो सदस्यों को जांच प्रतिवेदनों पर ध्यान देने का पूरा मौका नहीं दिया गया । उनका यह आचरण अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही का द्योतक है । विधान सभा की विशेष समिति द्वारा प्रासंगिक विषय के तकनीकी पहलुओं की जाँच के लिए गठित उप समिति के संयोजक के नाते उन्होंने विधान सभा की विशेष समिति की अनुशंसा में निहित निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया है । तथ्यों की छानबीन और उनके विश्लेषण के उपरांत की गई अनुशंसा के लिए वे स्वयं पूर्णतः जिम्मेदार हैं । समिति नगर विकास विभाग के सचिव को निर्देश देती है कि वे उच्च स्तरीय समिति के संयोजक–सह–तत्कालीन मुख्य अभियंता, आर0आर0डी0ए0 के आचरण की जांच करें और इस संबंध में सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपना मंतव्य भेजें या अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करें ।"

समिति के इस निदेश के आलोक में संयोजक, आर0आर0डी0ए0 के आचरण की जांच एवं उनके संबंध में सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभा सचिवालय के पत्रांक 5347 दिनांक 06.12.2006 (परि0–20) द्वारा पत्र भेजा गया । इस पत्र के आलोक में की गई कार्रवाई की सूचना समिति को आज तक अप्राप्त है ।

आगे समिति ने यह जानना चाहा कि इसी कार्य के लिए पूर्व में नियुक्त परामर्शियों को किये गये 96 लाख रुपये के भुगतान को मेनहर्ट को किये जाने वाले भुगतान में एडजस्ट किये जाने का क्या तुक है ? इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । इन परामर्शियों ने जितना काम किया था, उससे विभाग या निगम संतुष्ट हुआ था या

नहीं, तो उप सचिव ने बताया कि विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी 15 जून 2005 को जिसमें उनके कार्यों की समीक्षा की गयी और पाया गया कि उनका काम असंतोषजनक है । इसी बीच बैठक में राँची नगर निगम के प्रशासक श्री रविशंकर प्रसाद वर्मा पहुँचे, उन्होंने बताया कि ORG और Span Morgan ने काम किया था, उसे 96 लाख रुपया के एवज में एडजस्ट कर लिया गया । उन्होंने यह भी कहा कि इनका काम शिड्यूल के बिहाइंड चल रहा था । माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग ने बैठक कर रिभ्यू किया । उसमें उनका काम संतोषजनक नहीं पाया गया और सर्वे रिपोर्ट में भी काम सही नहीं पाया गया ।

इस पर समिति ने राँची नगर निगम के उप प्रशासक द्वारा नगर विकास विभाग के अवर सचिव को पत्रांक–1428 दिनांक 02.07.2005 द्वारा लिखे गए पत्र (परि0–21) का हवाला दिया । इसके अनुसार इस पत्र में समेकित सिवरेज ड्रेनेज के परामर्शियों के भुगतान के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है, इसके अनुसार रांची नगर निगम द्वारा अपने पत्रांक 205 दिनांक–3.2.05 द्वारा पूर्व में सरकार को ये सभी जानकारियां प्रेषित किये जाने का जिक्र है । इस पत्र की कंडिका 2 में उल्लेख है कि इनके पी.पी.आर. को असंतोषप्रद नहीं माना गया और भुगतान को उचित ठहराया गया । इसके बाद पत्रांक–2195 दिनांक–22.10.05 (परिशिष्ट–22) द्वारा उप प्रशासक, रांची नगर निगम ने नगर विकास विभाग के उप सचिव को सूचित किया है कि मेसर्स ओ.आर.जी. द्वारा समर्पित पी.पी.आर. की स्वीकृति सरकार द्वारा उपायुक्त, रांची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी जा चुकी है । अतः इन्हें इस स्टेज तक के लिए भुगतान किया जाना चाहिए ।

पत्रांक–2 / न.वि. / 1387 / की / 2001–1158 दिनांक–15.6.05 (परि0–6) द्वारा नगर विकास विभाग के अवर सचिव ने प्रशासक, रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि ओ.आर.जी. और मेसर्स स्पैन ट्रेवर्स मोरगन द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में विलम्ब हो रहा है, इनके कार्यों की गुणवत्ता असंतोषप्रद है, अतः इनके आगे काम नहीं लिया जाय और वर्तमान स्टेज तक उनके काम का भुगतान कर दिया जाय । परन्तु, इसी पत्र की अगली पंक्ति में रांची नगर निगम को भुगतान अपने स्तर से नहीं करने और लम्बित दावा निर्णय हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश है और अनुरोध किया गया है कि इनके साथ हुए एकरारनामा को रद्द करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई निगम स्तर से की जाय । साथ ही नगर विकास विभाग के पत्रांक–243 दिनांक–21.1.06 (परि0–23) द्वारा सरकार के उपसचिव, श्री नरेश कुमार ने प्रशासक, रांची नगर निगम को रांची

नगर निगम क्षेत्र में समेकित सिवरेज योजना के कार्यान्वयन हेतु परामर्शियों को भुगतान की अद्यतन स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में लिखा गया है।

विचित्र है कि एक ओर मंत्री की अध्यक्षता में बैठक कर दिनांक–30.5.05 को एकरारनामा रद्द कर दिया गया, दूसरी ओर दिनांक–15.6.05 को इसे रद्द करने के संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई के लिए रांची नगर निगम को लिखा जा रहा है। प्रासंगिक संदर्भ में विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक–2.6.05 एवं 07.6.05 को प्रकाशित विरोधाभासी खबरों की प्रतियॉ भी संलग्न है । (परि0–24) ।

समिति ने ORG और स्पेन मोर्गन के साथ इस काम के लिए राँची नगर निगम के साथ हुए एकरारनामा की कंडिका 2.7 की ओर ध्यान दिलाया और उसे पढ़कर सुनाया, जो निम्नांकित है :–

2.7 Termination of Contract

In case due to any reason beyond the control of either party. It is felt that the work cannot be continued any further in that case with the mutual agreement of both the client and the consultant. The contract can be terminated. However, it is the exclusive prerogative of the client to accept or reject the termination contract.

2.7.1 It is clarified that the consultant cannot at any point of time terminate the contract without prior approval of the client.

2.7.2 Cessation of rights and obligations

Upon termination of this contract pursuant to clause 2.7 hereof or upon expiration of this contract pursuant to clause 2.3 hereto, all rights and obligations of the parties hereunder shall see except (i) such rights and obligations as may have accrued on the date of expiration (ii) the obligations of confidentiality set forth in clause 3.5 hereof, (iii) any right which a party may have under the applicable law.

2.7.3 Payment upon termination

Upon termination of this contract pursuant to clause 2.7 hereof, the client shall make the payments to the consultant against the bills submitted and work already completed duly certified by the client subject to L.D. clause.

2.7.4 Dispute about events of termination

If either party disputes whether an event specified in clause 2.7 hereof has occurred such party may within 45 (Forty five) days after receipts of notice of termination from the other party refer the matter to settlement of dispute pursuant to clause hereof and this contract shall not be terminated on account of such event except in accordance with terms of any resulting arbitral award.

इसे पढ़कर सुनाया गया तो उस पर रांची नगर निगम के प्रशासक और नगर विकास विभाग के उप सचिव ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, परंतु समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि अगर कार्यादेश रद्द करने के विरूद्ध ORG और स्पैन मोर्गन हाईकोर्ट चले जायेंगे तो उन्हें काम का पूरा भुगतान करना पड़ेगा या नहीं, तो उन्होंने इसका उत्तर 'हाँ' में दिया । समिति ने अगली बैठक 11.12.2006 को करने का निर्णय लिया । उस बैठक में निविदाओं की समीक्षा हेतु गठित मुख्य समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को विस्तृत प्रतिवेदन के साथ उक्त तिथि को 11.30 बजे पूर्वाह्न में बुलाने का निदेश दिया । चूंकि ओ0आर0जी0 ने सभा अध्यक्ष को पहले ही एक पत्र भेजकर दिये कार्यादेश को रद्द करने को अनियमित और गैरकानूनी बताया है, इसलिए समिति ने प्राकृतिक न्याय के अनुरूप उनका पक्ष सुनने के लिये दोनों परामर्शियों को भी उक्त तिथि को ही दिन के 12.30 बजे समिति के समक्ष बुलाने का निर्णय लिया ।

समिति के इस निर्णय के आलोक में मुख्य समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सभा सचिवालय के पत्रांक 5348 दिनांक 06.12.2006 (परि0–25) एवं ओ0आर0जी0 एवं स्पैन मोर्गन को सभा सचिवालय के पत्रांक 5345 दिनांक 06.12.2006 (परि0–26) द्वारा सूचना दी गयी ।

दिनांक 11.12.2006 को 11.30 बजे पूर्वाह्न समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य समिति के अध्यक्ष प्रधान वित्त सचिव की ओर से अपर वित्त आयुक्त, श्री अंजनी कुमार और मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0), पथ निर्माण विभाग, श्री अनिल कुमार उपस्थित थे, सचिव, नगर विकास विभाग की ओर से उप सचिव, श्री नरेश कुमार और तकनीकी उप समिति के अध्यक्ष, रांची नगर निगम के प्रशासक, श्री आर.एस. वर्मा उपस्थित हुए, जो कि मुख्य समिति के सदस्य भी हैं ।

समिति द्वारा पूर्व की बैठकों का सार संक्षेप सभी के समक्ष रखा गया और प्रासंगिक विषय में निविदा आमंत्रण को लेकर परामर्शी का चयन, विधान सभा में उठाया गया प्रश्न तद्नुसार सभा की विशेष समिति का गठन, विशेष समिति के प्रतिवेदन के अनुसार नगर विकास विभाग द्वारा उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन, इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर परामर्शी को विभाग द्वारा कार्यादेश जारी करने तथा समिति के समक्ष तकनीकी उप समिति एवं उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के सदस्यों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति और वर्तमान बैठक में मुख्य समिति को बुलाने के बारे में बताया गया ।

समिति द्वारा पूछा गया कि जब 12.08.2005 को मुख्य समिति की बैठक में तकनीकी उप समिति के तुलनात्मक विवरणी पर विचार करने के उपरांत सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि कोई भी निविदादाता क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए निविदा रद्द कर दी जाए और क्वालिटी बेस्ड सिस्टम के बदले क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिस्टम के आधार पर शर्त्तों में कतिपय संशोधन कर पुनः निविदा निकाली जाय। इस आधार पर दिनांक 17.08.2005 की बैठक में 12.8.2005 की बैठक में लिये गये निर्णय को बदल दिया गया और पुनः तुलनात्मक विवरणी तैयार करने के लिये तकनीकी उप समिति को निर्देश दिया गया ? मुख्य अभियंता, श्री अनिल कुमार को तथा अपर सचिव, श्री अंजनी कुमार को दि0 – 04.08.2005, 12.08.2005 और 17.08.2005 को हुई मुख्य समिति एवं तकनीकी उपसमिति की बैठकों की कार्यवाहियों की प्रतियाँ देखने के लिये समिति द्वारा दिया गया ।

अपर सचिव, वित्त ने कहा कि 12.08.2005 की बैठक में तो सभी निविदाओं को रद्द करना तय हुआ था! समिति द्वारा यह उल्लेख किये जाने के बाद कि दिनांक 17.08.2005 की बैठक में यह निर्णय क्यों बदल दिया गया। इस पर मुख्य अभियंता, श्री अनिल कुमार ने कहा कि वे 17.08.2005 की बैठक में उपस्थित नहीं थे । समिति द्वारा कहा गया कि इस बैठक में न केवल निविदाओं को रद्द करने का निर्णय हुआ, बल्कि क्वालिटी बेस्ड के बदले क्वालिटी एवं कॉस्ट बेस्ड करने संबंधी नीतिगत परिवर्तन करने का निर्णय भी हुआ । इसलिए समिति को इस बैठक में प्रोसिडिंग और इसमें प्रस्तुत तुलनात्मक विवरणी से अवगत कराया जाय । अवर सचिव, वित्त ने भी कहा कि इसके लिए तकनीकी उप समिति की दिनांक 12.08.2005 के बैठक में दी गई रिपोर्ट को देखना पड़ेगा । उप सचिव, नगर विकास विभाग ने कहा कि प्रोसिडिंग तो है, लेकिन निर्णय कैसे लिया गया इसके लिए नोट शीट देख लेते हैं । अपर सचिव, वित्त ने कहा कि एक बार अगर टेंडर नॉन–रिस्पोंसिव डिक्लेयर कर दिया गया तो यह देखना महत्वपूर्ण है कि फिर उसे कैसे रिस्पोंसिव डिक्लेयर किया गया? दिनांक 17.08.2005 को मुख्य समिति एवं तकनीकी उप समिति की बैठक विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में किये जाने के बारे में अपर सचिव, वित्त ने बताया कि मंत्री महोदय तकनीकी समिति के सदस्य तो नहीं होंगे, अपने स्तर से उन्होंने केवल बैठक बुलाई होगी । इस पर उप सचिव, नगर विकास विभाग ने बताया कि दि0–17.08.2005 की बैठक मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई थी । इस संबंध में मंत्री महोदय का संचिका में नोट शीट पर आदेश है कि उनके कार्यालय कक्ष में दोनों समितियों की बैठक रखी जाय । जब समिति ने यह

जानना चाहा कि 12 अगस्त 2005 की बैठक में क्या निर्णय लिया गया, जिसके चलते माननीय मंत्री को ऐसा आदेश पारित करना पड़ा, तो उप सचिव, नगर विकास विभाग ने कहा कि मैं नोट शीट के उस अंश को ही पढ़ देता हूँ, जो निम्नांकित है :–

e=h] uxj fodkl foHkkx

राँची शहर के लिए एक समेकित सिवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम को विकास करने के उद्देश्य से भवन मैनेजमेन्ट के कंसलटेन्सी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक कंसलटेन्सी के चयन हेतु जो निविदा आमंत्रित की गई थी, उनके आकलन का कार्य सरकार के द्वारा गठित तकनीकी उप समिति को सौंपा गया था । तकनीकी उपसमिति के द्वारा सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अपना आकलन प्रस्तुत किया गया है कि टेन्डर डाक्यूमेन्ट में निविदादाता के लिए जो न्यूनतम आवश्यक अहर्ताएं (एलिजिबिलिटि क्रायटेरिया) आपेक्षित की गई है उनकी पूर्ति चारो निविदादाता के द्वारा की गई है या नहीं । उप समिति से प्राप्त तुलनात्मक व्यवस्था के निर्माण से स्पष्ट हुआ कि चारों ने किसी निविदा स्रोत के द्वारा सरकार के द्वारा पूर्व से निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं जो योग्यताएं (मिनिमम एसंसियल रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटि) को पूरा नहीं किया गया है । तकनीकी उपसमिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत समीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि निविदादाताओं के द्वारा निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं पूरी नहीं की गई हैं, इसलिए उनके निविदा पर आगे विचार किया जाना विधि सम्मत एवं नियमानुकूल नहीं होगा । वर्णित परिस्थितियों में निविदा के रद्द करने का निर्णय समिति के द्वारा आज की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया ।

चूंकि सरकार राँची शहर मे समेकित सिवरेज एवं ड्रेनेज प्रणाली को अधिष्ठापित करने के लिए कटिबद्ध है इसलिए यह आवश्यक है कि इसके लिए पुनः एक निविदा निकाली जाए । परंतु ऐसा करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि पूर्व में जिन न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करने की अपेक्षा निविदादाताओं से की गई है उनमें आवश्यक परिवर्तन किया जाए । इसके साथ ही इस बिन्दु पर भी निर्णय लिया जाना आवश्यक है कि इस कार्य को किसी कंसल्टेंसी को सुपुर्द करने का निर्णय न केवल टेक्निकल प्रोपोजल के आकलन के आधार पर मात्र उनकी क्वालिटी के आधार पर लिया जाए वरन् टेक्निकल एवं वित्तीय दोनों प्रकार के प्रस्ताव के समेकित आकलन के बाद ही लिया जाए । इस कार्य में मात्र क्वालिटी के आधार पर निविदा के अंतिम निष्पादन की

शर्त्त रखी गई थी, उनके स्थान पर क्वालिटी एवं कॉस्ट दोनों के आधार पर आकलन एवं निष्पादन करने की शर्त्त रखी जाए । बीड डॉक्यूमेन्ट को नये सिरे से तैयार करने के लिए तकनीकी समिति को आवश्यक निर्देश दिया जा सकता है । उस समिति में सिवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम का ज्ञान रखने वाले कुछ अनुभवी एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का सम्मिलित किया जाना श्रेयस्कर होगा जिससे कि इस प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की जाने वाली बीड डॉक्यूमेन्ट में सभी आवश्यक एवं अपेक्षित शर्त्तों का समावेश किया जा सके ।

आज दिनांक 12.08.2005 को सम्पन्न हुई, समिति की बैठक की कार्यवाही पृष्ठ 49 पर देखी जा सकती है ।

ह0/–
बी.के.सिंह
सचिव

दिनांक 17.08.2005 को अपराह्न में 1.00 बजे निविदा समिति एवं तकनीकी समिति की संयुक्त बैठक मेरे कार्यालय कक्ष में रखी जाए ।

ह0/–
रघुवर दास, मंत्री
दिनांक 16.08.2005

इसमें मंत्री महोदय का आदेश है कि 17.08.2005 को निविदा समिति की संयुक्त बैठक मेरे कार्यालय कक्ष में रखी जाए ।

समिति ने पुनः यह जानना चाहा कि ऐसा कौन सा नया तथ्य आ गया जिसके चलते दिनांक 17.08.2005 की बैठक में 12.08.2005 की बैठक के निर्णय को ही बदल दिया गया, तो उप सचिव, नगर विकास विभाग ने कहा कि संचिका के नोट शीट में इसके अलावा और कुछ नहीं है । इस पर प्रशासक, रांची नगर निगम का कहना था कि एक्चुअली सिवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम को कम्बाईन करके ही निर्णय लिया गया था ।

समिति ने यह जानना चाहा कि क्या निविदा प्रकाशित होने के बाद प्री–बीड कॉन्फेरेंस हुआ था ? क्योंकि विधान सभा की विशेष समिति के समक्ष कहीं भी प्री–बीड कॉन्फेरेंस का जिक्र नहीं हुआ है, तो उप सचिव, नगर विकास विभाग ने बताया कि टेंडर की सूचना में ही था कि 18 जुलाई, 2005 को प्री–बीड बैठक बुलाई जायेगी । यह बैठक हुई। उप सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा समिति के समक्ष उस बैठक की कार्यवाही रखी गई (परि0–27) । मुख्य अभियंता, श्री अनिल कुमार द्वारा कार्यवाही के

प्रासंगिक अंश को समिति के समक्ष पढ़ा गया, जिसमें 'मेनहर्ट' के प्रतिनिधि द्वारा की गयी एक अन्य जिज्ञासा और एक अन्य परामर्शी द्वारा टर्न ओवर और मुनाफा के संबंध में टेंडर में अंकित 3 वर्षों के अंकेक्षित रिपोर्ट पेश करने में कठिनाईयों का जिक्र था । ये दोनों ही पृच्छाएँ और इसके बारे में सरकार का स्पष्टीकरण निम्नांकित है, जिसे कार्यवाही विवरण के अंश 'क' और 'ख' के रूप में चिह्नित किया गया है :–

v|'k ^d*

Query No- 1 raised by Meinhardt (Singapore) Pvt. Ltd., India branch Refer Appendix 1(B) page 18 -

It has been mentioned that 12 no drainage experts and 12 no sewerage experts are required for the construction phase. We feel that 3 no drainage experts carry out the works efficiently.

Clarification -

Refer appendix 1(b) page 18 serial 3&4 instead of 48 X N man months each for drainage and sewerage experts, it was agreed to provide 72 man-months each for drainage and sewerage experts.

v|'k ^[k*

Query no 11 raised by Tahal Consulting Engineers Ltd .-

Please refer to 3.1.1(ii) where in it is stated that a certified copy of the audit report in support of the firms turnover for the last 3 years is to be submitted. External audit report for the year 2004-05 cannot be submitted as auditing is done after the month of July where as the audit reports for the year 2002-03 & 2003-04 are available.

Clarification -

It was agreed for the submission of the internal audit report for the year 2004-05 and externally audited reports for the earlier years i.e 2002-03 & 2003-04.

इससे स्पष्ट है कि प्री–बीड बैठक में मेनहर्ट के प्रतिनिधि उपस्थित थे और उन्होंने ही बैठक में पहला प्रश्न किया था। परन्तु उन्होंने बैठक में टर्न ओवर एवं मुनाफा के 2002–03, 2003–04, 2004–05 वर्षों में अंकेक्षित प्रतिवेदन के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया । तहल कंसल्टेंसी ने इस बारे में अवश्य सवाल उठाया जो कार्यवाही में पृच्छा संख्या '11' पर है । तहल कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड ने बैठक में कहा कि जिन तीन वर्षों के टर्न ओवर की ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र निविदा में किया गया है, उनमें से 2004–05 की अंकेक्षित रिपोर्ट नहीं जमा की जा सकती है, क्योंकि कंपनियों का अंकेक्षण जुलाई माह के बाद ही किया जाता है । केवल 2002–03 और 2003–04 की अंकेक्षित रिपोर्ट ही उपलब्ध कराई जा सकती है । उनके इस सवाल पर सरकार (नगर

विकास विभाग) स्पष्टीकरण दिया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया और सबकी सहमति बनी कंपनियाँ वर्ष 2002–03 और 2003–04 का बाह्य अंकेक्षित रिपोर्ट जमा करे और 2004–05 के लिए आंतरिक अंकेक्षित रिपोर्ट जमा करे । ऐसा प्रतीत होता है कि निविदा प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय न तो तकनीकी उप समिति ने और न ही मुख्य समिति ने प्री–बीड बैठक में सभी की सहमति से लिये गये इस निर्णय पर गौर किया। vU;Fkk ^esugVZ ijke'khZ* ftlus o"kZ 2004&05 ds VuZ vkoj vkj ykHk ds lnHkZ esa dkbZ Hkh vads{kr ;k fcuk vads{kr ifrosnu fufonk iLrko ds lkFk layXu ugha fd;k Fkk A vr% mls eY;kadu ds igys pj.k] ^;kX;rk ds ekinaM* (Eligibility Criteria)] ds eY;kadu ds le; gh v;kX; ?kksf"kr dj fn;k tkuk pkfg, FkkA इसके बाद निविदा शर्तों के अनुसार मेनहर्ट परामर्शी के तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता और मेनहर्ट परामर्शी का टेंडर मूल्यांकन के पहले चरण में ही नॉन–रिस्पोंसिव घोषित कर दिया जाता ।

आश्चर्य तो यह है कि प्री–बीड बैठक में हुए स्पष्ट निर्णय के बावजूद तुलनात्मक विवरणी तैयार करते समय तकनीकी उप समिति के सदस्यों ने न केवल मेनहर्ट परामर्शी के केवल 2 वर्षों 2002–03 और 2003–04 वर्षों के टर्न ओवर का ही औसत निकाल दिया, जिसे योग्यता मापदंड के लिये निर्धारित टर्न ओवर 40 करोड़ रूपया से अधिक दर्शाया गया । इतना ही नहीं तकनीकी उपसमिति ने जहाँ एक ओर मेनहर्ट परामर्शी के 2004–05 के टर्न ओवर को अनुपलब्ध दर्शाया वहीं कोष्ठक में यह अंकित कर दिया कि मेनहर्ट परामर्शी ने 2001–02 का अंकेक्षित टर्न ओवर संलग्न किया है । इससे यह भ्रम की स्थिति बनी कि टेंडर प्रस्ताव में अंकित विगत् 3 वर्षों का अर्थ केवल 2002–03, 2003–04 और 2004–05 ही नहीं बल्कि कि 2001–02, 2002–03 और 2003–04 भी हो सकता है, क्योंकि निविदा प्रस्ताव में विगत् 3 वर्षों का जिक्र है, न कि ठीक पिछले 3 वर्षों का । चूंकि यह तुलनात्मक विवरणी दिनांक 12.08.2005 की बैठक में लिये गये निविदा रद्द करने के निर्णय को दिनांक 17.08.2005 की बैठक में बदल दिये जाने और तदुपरांत पुनः तुलनात्मक विवरणी तैयार करने के निर्णय के बाद तैयार की गई, इसलिए यह संदेह स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया में कहीं–न–कहीं, किसी–न–किसी स्तर पर मेनहर्ट परामर्शी को मदद पहुँचाने की कोशिश की गई और इसके लिए तथ्यों को छुपाने एवं तोड़ने–मरोड़ने का प्रयास किया गया । उल्लेखनीय है कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति, जिसका गठन नगर विकास विभाग द्वारा विधान सभा उपसमिति की अनुशंसा में

लिखित कतिपय तकनीकी बिन्दुओं की जांच कराने के लिए किया गया था, के संयोजक ने भी मेनहर्ट परामर्शी के वर्ष 2001–02 के टर्न ओवर को स्वीकार करने पर जोर दिया है ।

विडम्बना है कि वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञ वरीय अभियन्ताओं को मिलाकर गठित की गई मुख्य समिति ने भी तकनीकी उप समिति द्वारा योग्यता निर्धारण के लिए तैयार की गई तुलनात्मक विवरणी का विश्लेषण नहीं किया और इसे हू–ब–हू स्वीकार कर लिया । इसके बाद योग्य ठहराये गये परामर्शियों के तकनीकी मूल्यांकन चार्ट को सरसरी निगाह से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिस्पर्धी परामर्शियों के तकनीकी प्रस्तावों में अंकित विभिन्न दस्तावेजों के मूल्यांकन और अंक निर्धारण की प्रक्रिया में समरूपता नहीं बरती गई है । तीन मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी परामर्शियों को दिये गये अंकों में भारी अंतर है। चुंकि प्रसंग चयनित परामर्शी मेनहर्ट का है और वह मूल्यांकन के प्रथम चरण में ही अयोग्य घोषित हो जाने की स्थिति में है, इसलिए समिति मेनहर्ट सहित अन्य प्रतिस्पर्धी परामर्शियों के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन के विशद विवरण में जाने और इसकी गहन समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं समझती है ।

तकनीकी मूल्यांकन समिति ने तुलनात्मक विवरणी तैयार करते समय तथ्यों की अनदेखी कर जो निष्कर्ष निकाला है, वही निष्कर्ष मुख्य समिति ने भी मान लिया है । उसी को नगर विकास विभाग ने भी मान लिया है । विधान सभा की विशेष समिति के समक्ष नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी इस तथ्य को छुपा लिया गया है कि निविदा प्रस्ताव तीन मुहरबंद लिफाफों में दिया जाना था । इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि निविदा प्रस्ताव केवल दो मुहरबंद लिफाफों में ही दिया जाना था । एक तकनीकी और दूसरा वित्तीय जबकि वस्तुस्थिति यह है कि निविदा प्रस्ताव के अनुसार एक मुहर बंद लिफाफा योग्यता निर्धारण के मापदंड के संबंध में भी निविदादाताओं को जमा करना अनिवार्य था । अगर इस बारे में पूरा तथ्य विधान सभा की विशेष समिति के समक्ष रखा गया होता, तो निश्चित रूप से सभा समिति उचित निष्कर्ष पर पहुंचने और स्पष्ट अनुशंसा करने में सफल हुई होती ।

विधान सभा की विशेष समिति की अनुशंसा के अनुरूप कतिपय तकनीकी पहलुओं की जांच के लिए नगर विकास विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के सदस्यों से बात–चीत के दौरान उभरे विरोधाभासों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का निर्णय निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण नहीं है, अपितु

निहित स्वार्थों से प्रभावित हैं । उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के तीनों सदस्य राज्य के वरीय अभियंताओं की श्रेणी में हैं । विधान सभा की विशेष समिति द्वारा जिन तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है, उनकी निष्पक्ष जांच पर ही यह निर्भर करता है कि मेनहर्ट परामर्शी का चयन सही था अथवा नहीं और इस परामर्शी को नगर विकास विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई के रूप में कार्यादेश देना उचित होगा अथवा इसका चयन रद्द करना उचित होगा । स्पष्ट है कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के इन वरीय अभियंताओं ने अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं किया है । इन्होंने विधानसभा की विशेष समिति की अनुशंसा को भी सही परिप्रेक्ष्य में गम्भीरता से नहीं लिया है । वरना पर्याप्त अनुभव और योग्यता के बावजूद विषय वस्तु की गम्भीरता के मद्देनजर तथ्यों का समुचित विश्लेषण किये बिना तीन–चार दिन के भीतर ऐसा सतही प्रतिवेदन देने के पहले वे अनेक बार सोचते ।

समिति इस उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक के अविवेकपूर्ण, नियम विपरीत और अनैतिक आचरण का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहती है । जिस तरह निविदाओं के मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी उप समिति ने प्री–बीड बैठक से उभरे तथ्यों को अनदेखी कर तुलनात्मक विवरणी तैयार किया, उससे कहीं आगे बढ़कर इस उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि योग्यता निर्धारण के मापदंड पर "मेनहर्ट परामर्शी" को अयोग्य ठहराना मुनासिब नहीं होगा । इन्होंने दिनांक 17.11.2006 की बैठक में समिति के समक्ष इस बारे में जो स्वीकारोक्ति बयान दिया वह अपने आप में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त है । परंतु इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर दो पृष्ठों की एक विवरणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका एक पृष्ठ इनका हस्तलिखित (परि0–28) है । इसमें इन्होंने प्रतिस्पर्धी परामर्शियों के वित्तीय वर्ष और उनके खाता के अंकेक्षण की तिथियों की एक तालिका बना कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मेनहर्ट परामर्शी का अंकेक्षण विभिन्न वर्षों में सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर महीनों में होता रहा है, इसलिए मेनहर्ट परामर्शी के लिए निविदा प्रस्ताव के साथ वर्ष 2004–05 का अंकेक्षित प्रतिवेदन जमा करना संभव नहीं था । इसलिए इसके एवज में मेनहर्ट परामर्शी के वर्ष 2001–02 के अंकेक्षित रिपोर्ट को शामिल किया जाना चाहिए था । mUgksaus ,slk ugha djus ds rduhdh mi lfefr ds fu.kZ; dk ßcfld feLVsdÞ dgk gSA मेनहर्ट परामर्शी की मदद करने के लिहाज से उन्होंने आगे यह भी अंकित किया है कि निविदा में जहां Last three years का जिक्र है, उसका अर्थ Not preceding last three years but only last

three years होना चाहिए ताकि मेनहर्ट परामर्शी के वर्ष 2001—02 के अंकेक्षित रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया जाय, जिससे उसे योग्य घोषित करने का रास्ता खुल जाय । Li"V g fd fo/kku lHkk dh fo'k"k lfefr dh vu'kal k d vu:i dfri; rduhdh igyvk dh tkp dju d fy, uxj fodkl foHkkx }kjk xfBr mPpLrjh; rduhdh lfefr d l;ktd u "kM;=iod vkj fufgr LokFk d o'khHkr gkdj v;kX; eugV ijke'kh dk ;kX; Bgjku e viu Åoj efLr"d dk Hkjij n:i;kx fd;k gA इनकी हस्तलिखित प्रासंगिक टिप्पणी निम्नांकित है :—

Page 69 of File No.- 2/u0fo0@;k0@lh0M0@02@05

The Tech. Sub-Committee has prepared the C/S for three years only for the audited a/c. The basic mistake was done as they did not see the financial years of different companies. The tender was floated on 30.06.2005 and the audited a/c of mainhart could only be submitted after three or four months of financial closing month i.e. April of every years. So the audited account of 2001-02 must have been considered for comparison.

ह0/—एस0 पी0 सिन्हा

आर0एफ0पी0 के अनुसार प्रतिस्पर्धी परामर्शियों के योग्यता निर्धारण मापदंड में उनके टर्न ओवर और लाभ के अतिरिक्त कम—से—कम एक सिवरेज और एक ड्रेनेज सिस्टम में परामर्शी के रूप में विगत 5 वर्षों में 300 करोड़ रूपया का उनका कार्य अनुभव भी शामिल था । इस बारे में दिनांक—17.11.06 की बैठक में समिति द्वारा उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के संयोजक से जब यह पूछा गया कि मेनहर्ट द्वारा कार्य अनुभव के संबंध में कागजातों की सत्यता, विशेषकर सिंगापुर के 'बिन्टॉन रिसोर्ट प्रोजेक्ट' संबंधी प्रमाण पत्रों और इस प्रोजेक्ट में मेनहर्ट के योगदान का हिस्सा के बारे में, जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयास उनके द्वारा किया गया कि नहीं, तो संयोजक ने बताया कि मेनहर्ट द्वारा प्रस्तुत कागजातों और तुलनात्मक विवरणी में दर्ज तथ्यों को ही सही मान लिया गया, जबकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जांच का विषय है ।

समिति ने नगर विकास विभाग द्वारा निविदा शर्त्तों के आधार पर परामर्शी चयन का निर्णय करने के लिए गठित मुख्य समिति से यह जानना चाहा कि उच्चस्तरीय तकनीकी समिति की रिपोर्ट में एक जगह अंकित है कि निगोशियेशन के दौरान यह तय हुआ कि इसी कार्य को करने के लिए पूर्व में चयनित दो विशेषज्ञ परामर्शियों— ओ.आर.

जी. प्राइवेट लि0 और स्पैन ट्रावर्स मोर्गन को उनका एकरारनामा रद्द होने के पहले 96 लाख रूपये की जिस राशि का भुगतान उन्हें किया गया, वह 96 लाख रूपया मेनहर्ट परामर्शी के विपत्र से एडजस्ट किया जायेगा, इसका क्या लॉजिक है? इस पर रांची नगर निगम के प्रशासक का कहना था कि निगोशियेशन में मुख्य समिति एवं मंत्री महोदय के स्तर पर तय हुआ था कि उनके द्वारा सर्वे के काम में, पी.पी.आर. तैयार करने में और सी.डी. तैयार करने में उनका 96 लाख खर्च हुआ था, उसका उपयोग मेनहर्ट द्वारा करने की स्वीकृति के बाद मेनहर्ट के बिल से 96 लाख की राशि को डिडक्ट करने का निर्णय लिया गया । समिति ने जानना चाहा कि जब उन दो परामर्शी कम्पनियों का काम संतोषजनक था तभी तो उनके द्वारा किये गये सर्वे, कलेक्ट किये गये डाटा, तैयार की गयी सी.डी. आदि का उपयोग मेनहर्ट परामर्शी ने करना स्वीकार किया और इसके लिए 96 लाख की राशि को विपत्र में से डिडक्ट करने को तैयार हुआ, तो प्रशासक रांची नगर निगम ने कहा कि उनका काम असंतोषजनक नहीं था, केवल 'डिलेड' था ।

समिति ने जब पूछा कि नगर विकास विभाग के अवर सचिव ने प्रशासक नगर निगम को जो पत्र लिखा है उसमें उनकी गुणवता को भी असंतोषप्रद बताया है, तो इस पर प्रशासक, रांची नगर निगम ने बताया कि डी.सी., रांची की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित थी, उसी ने समय–समय पर ओ.आर.जी. और स्पैन के कार्यों का मूल्यांकन किया है और भुगतान के लिए रिकोमेन्डेशन किया है । उस कमिटी में बहुत सारे तकनीकी लोग थे ।

इसके बाद समिति ने अपर वित्त आयुक्त, श्री अंजनी कुमार को निर्देश दिया कि वे आज की बैठक की कार्यवाही के बारे में प्रधान सचिव, वित्त, जो मुख्य समिति के अध्यक्ष हैं और जिनके बदले में आप समिति की बैठक में भाग ले रहे हैं, को बतला देंगे कि उन्हें इस बारे में और भी कुछ कहना है या कुछ अतिरिक्त तथ्य देना है तो वे समिति के समक्ष लिखित या मौखिक रूप में कभी भी रख सकते हैं। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि नगर विकास विभाग, रांची नगर निगम, तकनीकी उपसमिति, मुख्य समिति या इनके किसी सदस्य को इस बारे में कुछ कहना या कोई तथ्य देना है, तो वे दे सकते हैं। यह समिति के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए होगा । इस पर अपर वित्त आयुक्त ने कहा कि ठीक है ।

समिति ने अधिकारियों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया कि टेंडर भरते समय सभी परामर्शी बड़े–बड़े विशेषज्ञों का नाम दे देते हैं, परन्तु ऐसे लोग कार्य स्थल पर नहीं

दिखते हैं । इसलिए यह भी पता करना चाहिए कि मेनहर्ट ने जिन विशेषज्ञों का नाम अपने टेन्डर दस्तावेज में दिया है, वे लोग कभी कार्यस्थल पर आये या नहीं । इस पर प्रशासक, रांची नगर निगम ने कहा कि दो–तीन आये, दो से तो हमारी मुलाकात हुई है।

इसके बाद उसी दिन समिति की बैठक में ओ.आर.जी. प्राइवेट लि0 के प्रबंध निदेशक, और स्पैन कन्सलटेंट के निदेशक श्री एस.के.भारद्वाज उपस्थित हुए । उनसे वार्ता का सार संक्षेप निम्नांकित है :–

रांची में सिवरेज–ड्रेनेज हेतु परामर्शी चयन के लिए स्पैन के साथ 10 अक्तूबर 2003 और ओ.आर.जी. के साथ 11 अक्तूबर, 2003 को रांची नगर निगम का एकरारनामा हुआ । इन्हें डी.पी.आर. तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। ओ.आर.जी. को 24 और स्पैन को 4 जोन का काम सौंपा गया । पंद्रह दिन में इन्हें इन्सेप्शन रिपोर्ट देना था । दोनों ने समय सीमा में रिपोर्ट दे दिया । रिपोर्ट की स्वीकृति में विभाग ने तीन महीना समय लगाया । इस रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद इन्हें पी.पी.आर. तैयार करने का निर्देश दिया गया । इस हेतु हैदराबाद से आईकोनाइज्ड डाटा के लिए रांची नगर निगम ने लिखा । डाटा आने में छः माह का समय लगा । इंसेप्शन रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद नगर निगम ने पी.पी.आर. तैयार करने के लिए 60 दिनों का समय परामर्शियों को दिया । इन्सेप्शन रिपोर्ट 19.3.04 को स्वीकृत होने के बाद स्पैन ने 28.8.2004 को और ओ.आर.जी. ने दिसंबर 2004 में 4 जोन का पी.पी.आर. जमा कर दिया । इसमें हुए विलम्ब के कारणों से विभाग संतुष्ट था। 3 जनवरी, 2005 को ओ.आर.जी. को कहा गया कि पहले आप जोन '3' का रिवाईज्ड पी.पी.आर. जमा कीजिए । ओ.आर.जी. ने इसे 31.3.2005 को जमा किया । 10 प्रतियों में पी.पी.आर. मांगा गया, जोन '3' का पी.पी.आर. 10 अक्तूबर 2005 को स्वीकार कर लिया गया । इसके लिए ओ.आर.जी. को और स्पैन को मिलाकर 96 लाख रूपया से अधिक का भुगतान भी हुआ है । उनके काम में विलम्ब का मुख्य कारण इन्सेप्शन रिपोर्ट का एप्रुभल में सरकार द्वारा देरी, आईकोनाईज्ड डाटा उपलब्ध कराने में 6 माह से अधिक का विलम्ब, सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के लोकेशन के लिए सरकारी जमीन चिन्हित करने में नगर निगम द्वारा किया गया विलम्ब है । निगम ने समय–समय पर लिखित रूप में उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों में संशोधन के लिए कहा है और उसके उपरांत उन्हें स्वीकृति दी है और उन्हें कभी भी असंतोषप्रद नहीं बताया है ।

समिति द्वारा उनसे पूछा गया कि इसके बाद डी.पी.आर. देने में उन्हें कितना समय लगता, तो उन्होंने बताया कि पी.पी.आर. स्वीकृत होने के बाद पी.पी.आर. को अपग्रेड कर डी.पी.आर. देने में दो से तीन महीने और लगते ।

दोनों परामर्शियों के प्रतिनिधियों के बताया कि इसी बीच रांची नगर निगम के प्रशासक ने उन्हें सूचित किया कि मंत्री महोदय के समक्ष आपको प्रेजेन्टेशन करना है । उन्होंने प्रेजेन्टेशन किया, जिसे संतोषजनक माना गया और उन्हें आगामी अगस्त माह तक डी.पी.आर. दे देने के लिए कहा गया । इसके तुरंत बाद उन्हें चिट्ठी थमा दी गयी कि आपका कांन्ट्रैक्ट रद्द हो गया, जबकि एग्रीमेंट के क्लॉज 2.7 में टर्मिनेशन ऑफ कान्ट्रेक्ट के बारे में प्रावधान है, जिसके अनुसार सरकार द्वारा एकतरफा ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता है । उनका कहना था कि जब हमारे द्वारा किये गये कार्य को विभाग ने मेनहर्ट को दे दिया और मेनहर्ट ने 96 लाख रूपये में इसे स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमारा काम बढ़िया था । वस्तुतः हमलोगों ने जितना काम करके विभाग को डाटा और अन्य कागजात सौंपा है, उसका मूल्य इससे काफी अधिक है । इसका विपत्र जमा करने के लिए नगर निगम ने हमें पत्र लिखा है । समिति ने उनकी बातों को सुनकर उन सभी कागजातों को समिति को देने का निर्देश उन्हें दिया, जिनका उल्लेख वे लोग बैठक में बार–बार कर रहे थे ।

इसके बाद समिति की समीक्षात्मक बैठक दिनांक–26.12.2006 को 12.30 बजे अप0 में हुई । इस बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा समिति को उपलब्ध कराई गई मुख्य समिति एवं तकनीकी उप समिति की दिनांक–12.8.05 एवं दिनांक 17.8.05 की कार्यवाही प्रतिवेदन पर विचार किया गया । दिनांक–12.8.05 की कार्यवाही में अंकित है कि तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन के उपरांत एक तुलनात्मक विवरणी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार कोई भी निविदादाता निविदा में वर्णित न्यूनतम आवश्यक योग्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता है । अतः इस निविदा को रद्द करके पुनः निविदा में वर्णित्त शर्त्तों में आवश्यक परिवर्तन करने के उपरांत नयी निविदा प्रकाशित की जाय और केवल क्वालिटी को आधार बनाने के बदले क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों को आधार बनाया जाय । इस संदर्भ में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यह निर्णय तकनीकी उपसमिति के जिस मूल्यांकन पर आधारित है, उस मूल्यांकन दस्तावेज की प्रति की मांग नगर विकास विभाग से की जाय ।

दिनांक–17.8.05 की मुख्य समिति एवं तकनीकी उपसमिति की बैठक की कार्यवाही में अंकित है कि दिनांक–12.8.05 की बैठक में हुए निर्णय से तकनीकी

उपसमिति के दो सदस्य असहमत थे इसलिए मुख्य समिति एवं तकनीकी उपसमिति के सभी सदस्य एक साथ बैठ कर योग्यता की शर्त्तों का पुनः अध्ययन करें और निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचें । इस पर समिति द्वारा नगर विकास विभाग से यह जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया कि तकनीकी उपसमिति के कौन दो सदस्य पूर्व में तैयार की गयी तुलनात्मक विवरणी से असहमत थे और विवरणी के किन–किन बिन्दुओं से असहमत थे ।

दोनों बैठकों की कार्यवाहियों के आलोक में वांछित जानकारी समिति की दिनांक–03.01.2007 को होने वाली बैठक में सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने के समिति के निदेश के आलोक में सचिव, नगर विकास विभाग को सभा सचिवालय के पत्रांक–5699 दिनांक–30.12.2006 (परिशिष्ट–29) द्वारा पत्र भेजा गया ।

इसके बाद समिति ने श्री रघुवर दास, पूर्व मंत्री, नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक–12.12.06 को माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा को लिखे गये पत्र (परिशिष्ट–30) को आज की बैठक में रखा गया । इस पत्र पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि पत्र में कतिपय जानकारियॉ अस्पष्ट एवं अधूरी हैं, जिससे यह समझ पाना संभव नहीं है कि तत्कालीन मंत्री, नगर विकास विभाग द्वारा मेनहर्ट को निर्धारित लागत से लगभग 30/40–––––रूपये की लागत पर कार्य करने पर सहमत कराने का आशय क्या है? पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि 'कार्यान्वयन समिति' अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मेनहर्ट को आवंटित कार्य को गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रही है, विधान सभा की विशेष समिति की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न खड़ा कर रही है और चरित्रहनन की राजनीति की शुरूआत कर रही है ।

इससे पूर्व मंत्री, नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा को लिखे उनके अर्द्धसरकारी पत्रांक–1285 दिनांक–01.08.2006 (परिशिष्ट–11) के संबंध में कार्यान्वयन समिति द्वारा दिनांक–04.08.2006 की बैठक में विचार किया जा चुका है । बैठक की कार्यवाही में इस बारे में समिति का मंतव्य पहले से दर्ज है। इस संदर्भ में चरित्रहनन की राजनीति का माननीय पूर्व मंत्री का आरोप असत्य, तथ्य से परे, भ्रामक और बेबुनियाद है। क्योंकि समिति का मंतव्य एवं निष्कर्ष नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातों एवं उनमें अंकित तथ्यों के वस्तुपरक विश्लेषण पर आधारित है । पूर्व मंत्री के ऐसे मनगढ़ंत आरोपों से समिति आहत महसूस करती है । समिति की नजर में पत्र लिखकर समिति का कार्य बाधित करने का उनका प्रयास संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है । समिति की विभिन्न

बैठकों की कार्यवाहियों का अवलोकन किये बिना ऐसा बेबुनियाद, मर्यादा विरूद्ध एवं अशोभनीय आरोप लगाना पूर्णतः अनुचित एवं अवांछनीय है । पत्र में सभा द्वारा पूर्व में गठित विशेष समिति के सदस्यों को अयोग्य ठहराये जाने का उनका आरोप भी मनगढ़ंत है । कार्यान्वयन समिति की विभिन्न बैठकों की कार्यवाहियों को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि यह आरोप भी बेबुनियाद एवं गलत अवधारणा पर आधारित है ।

पुनः दिनांक–03.01.2007 को 12.30 बजे अप0 में कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई । नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव, श्री शशिभूषण सिंह द्वारा नगर विकास विभाग के पत्रांक–2/न0वि0/यो0/सि0ड्रे0/05–11 रांची दिनांकः–02.01.2007 (परिशिष्ट–31) द्वारा निर्गत नगर विकास विभाग का पत्र समिति के समक्ष रखा गया । इस पत्र में नगर विकास विभाग ने बताया है कि सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना, रांची के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी की नियुक्ति संबंधित सभी वांछित दस्तावेज कार्यान्वयन समिति को पूर्व में उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा सभा सचिवालय के पत्रांक–5699 दिनांक–30.12.2006 द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना विभाग द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदनों एवं कागजातों में पूर्णतः उपलब्ध हैं । नगर विकास विभाग के इस पत्र में यह उल्लेख भी है कि कार्यान्वयन से संबंधित वैसी सूचनाएँ जो पूर्व में उपलब्ध नहीं करायी गयी हों तथा जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है, उन्हें समिति के समक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है । नगर विकास विभाग के इस पत्र में वर्णित्त तथ्य से ऐसा लगता है कि विभाग समिति द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त सूचनायें उपलब्ध कराने के प्रति गंभीर नहीं है ।

बैठक में कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रासंगिक विषय पर तैयार किये गये कार्यान्वयन प्रतिवेदन को पारित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि यह प्रतिवेदन दिनांक–10.01.2007 को माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के समक्ष उनके कार्यालय में उपस्थापित कर दिया जाय ।

निष्कर्ष

(1) रांची नगर निगम क्षेत्र में समेकित सिवरेज–ड्रेनेज परियोजना के कार्यान्वयन हेतु मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति की जांच के लिए गठित विधान सभा की विशेष समिति की अनुशंसा के कार्यान्वयन में नगर विकास विभाग द्वारा मेनहर्ट परामर्शी को कार्यादेश दिया जाना सही नहीं है ।

(2) विशेष समिति की अनुशंसा के अनुरूप तकनीकी बिन्दुओं की जांच के लिए नगर विकास विभाग द्वारा गठित तीन सदस्यीय तकनीकी उच्चस्तरीय समिति द्वारा मेनहर्ट परामर्शी के चयन को पारदर्शी एवं गहन विश्लेषण पर आधारित बताते हुए सही ठहराया गया है, जो कि पूर्णतः असत्य, भ्रामक, गुमराह करने वाला और निहित स्वार्थ से प्रेरित है ।

(3) तीन सदस्यीय तकनीकी उच्चस्तरीय समिति ने विधान सभा की विशेष समिति की अनुशंसा के अनुरूप तकनीकी बिन्दुओं की जांच के वस्तुपरक नतीजा पर पहुंचने के बदले तथ्यों का गलत विश्लेषण कर गुमराह करने वाला निष्कर्ष प्रस्तुत किया है और विशेष समिति की अनुशंसा के गलत कार्यान्वयन का आधार उपलब्ध कराया है ।

(4) वस्तुतः इस मामले में 'मेनहर्ट परामर्शी' का आरम्भिक चयन ही पूर्णतः गलत था। निविदा में वर्णित्त इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया के अनुसार मूल्यांकन के प्रथम चरण में ही मेनहर्ट परामर्शी को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए था और इसके तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों पर विचार नहीं होना चाहिए था ।

(5) निविदा प्रस्ताव में अंकित है कि निविदा प्रस्ताव देने वाले परामर्शियों को वर्ष 2002–03, 2003–04 एवं 04–05 का वार्षिक टर्नओवर एवं लाभ का आकलन प्रस्तुत करना होगा । तद्नुसार इन तीन वित्तीय वर्षों में औसत 40 करोड़ से अधिक टर्न ओवर और लगातार लाभ में रहने वाले परामर्शी संगठन ही योग्य माने जायेंगे और इन्हीं के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। मेनहर्ट परामर्शी ने केवल दो वर्षों 2002–03 और 2003–04 का टर्न ओवर और इन्हीं वर्षों के लाभ का आंकड़ा अपने निविदा प्रस्ताव दिया था, तीसरे

वर्ष 2004–2005 का नहीं । इसके बावजूद इसके दो वर्षों के टर्न ओवर का ही औसत 52.06 करोड़ निकाल कर तकनीकी उप समिति ने इसे योग्य करार दिया, जो कि सरासर गलत है ।

(6) निविदा मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय लेने वाली मुख्य समिति ने भी तथ्यों की पड़ताल किये बिना तकनीकी उपसमिति के निष्कर्ष को सही ठहरा दिया और इसके तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन का निदेश दे दिया ।

(7) तकनीकी उप समिति द्वारा प्रतिस्पर्धी परामर्शियों के निविदा के तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन में भी प्रथम दृष्टया गंभीर विसंगतियॉ दिखाई पड़ती हैं । मूल्यांकन चार्ट में विभिन्न मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा दिये गये अंकों में भारी अंतर होने के बावजूद मुख्य समिति ने इसे स्वीकार कर लिया और मेनहर्ट परामर्शी को नियुक्त करने का निर्णय लेकर उसका वित्तीय प्रस्ताव का लिफाफा खोल दिया और निगोशियेशन के उपरांत मेनहर्ट परामर्शी को कार्यादेश जारी कर दिया गया ।

(8) दिनांक–12.8.05 को हुई मुख्य समिति की बैठक में निविदा मूल्यांकन विवरणी पर विचार कर निर्णय लिया गया था कि कोई भी निविदादाता निविदा प्रस्ताव में वर्णित इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया के अनुरूप योग्य नहीं हैं, इसलिए निविदा रद्द कर पुनः निविदा निकाली जाय और क्वालिटी बेस्ड की शर्त्त को बदलकर क्वालिटी एवं कॉस्ट बेस्ड शर्त्त पर निविदा निकाली जाय । मुख्य समिति का यह निर्णय माननीय मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक–17.8.05 को हुई बैठक में बदल दिया गया और पुनः तुलनात्मक विवरणी तैयार करने का निर्देश तकनीकी उप समिति को दिया गया । मुख्य समिति के 12.8.05 के निर्णय में परिवर्तन किया जाना नियमानुकूल एवं उचित नहीं था । इस परिवर्तित निर्णय ने ही आगे चलकर मेनहर्ट परामर्शी के चयन का मार्ग प्रशस्त किया ।

(9) मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति की जांच हेतु गठित विधान सभा की विशेष समिति के सामने नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि निविदा केवल दो मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की गयी थी । जबकि वस्तुस्थिति यह है कि निविदा तीन मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित की गयी थी, जिसमें एक लिफाफा इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया के बारे में भी था । निविदा प्रस्ताव में स्पष्ट था कि इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया के किसी भी एक शर्त्त को पूरा नहीं करने वाले निविदादाता के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा और उनके टेंडर को नॉन–रिस्पोंसिव घोषित कर दिया जायेगा । अगर यह तथ्य

विभाग द्वारा सभा की विशेष समिति के सामने प्रस्तुत किया गया होता, तो समिति सही निष्कर्ष पर पहुॅचने और स्पष्ट अनुशंसा करने में कामयाब हुई होती ।

(10) विशेष समिति की अनुशंसा के कार्यान्वयन के संदर्भ में तकनीकी पहलुओं की जांच के लिए विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के प्रतिवेदन में भी उपरलिखित कंडिका '9' में वर्णित्त तथ्यों को छुपा लिया गया ।

(11) इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि इस कार्य के लिए पूर्व में सरकार ने दो परामर्शियों ओ.आर.जी. प्रा0लि0 और स्पैन ट्रॉवर्स मोर्गन को नियुक्त किया था । इन दोनों परामर्शियों ने पी.पी.आर. स्तर तक परियोजना प्रतिवेदन सौंप दिया था और इनके अब तक के कार्यों को संतोषप्रद मानकर सरकार द्वारा इन्हें 96 लाख का भुगतान कर दिया गया था । उच्चस्तरीय तकनीकी समिति ने 96 लाख रूपये के इस भुगतान को चयनित परामर्शी 'मेनहर्ट' के विपत्र में समायोजित करने के लिए मंत्री स्तर पर हुये निगोशियेशन का समर्थन किया है । 96 लाख रूपये के एवज में ओ.आर.जी. और स्पैन द्वारा किये गये कार्यों को मेनहर्ट को सौंप देने का निर्णय नैतिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है?

(12) माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–30.5.05 को हुई बैठक में ओ.आर.जी. और स्पैन के साथ रांची नगर निगम द्वारा किये गये एकरारनामा को रद्द कर इन्हें कार्य करने से मना करने का निर्देश दे दिया गया। दूसरी ओर रांची नगर निगम द्वारा इनके कार्यों को असंतोषप्रद नहीं बताया गया और इन्हें किये गये भुगतान को उचित ठहराया गया । ये दोनों ही निर्णय परस्पर विरोधाभासी हैं।

(13) सभा की विशेष समिति की अनुशंसा के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में तत्कालीन मंत्री, नगर विकास विभाग द्वारा समिति के अधिकार क्षेत्र के बारे में जो पत्र माननीय सभा अध्यक्ष को लिखे गये हैं और समिति की मंशा पर जिस तरह से संदेह व्यक्त किया गया है, वह संसदीय परम्पराओं और मर्यादा के विरूद्ध है ।

(14) मेनहर्ट परामर्शी ने अपनी योग्यता और अनुभव प्रमाणित करने के लिए बिन्टॉन रिर्सोट एवं अन्य कार्यों को जो प्रमाण–पत्र निविदा प्रस्ताव के साथ जमा किया है, उससे यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि इस परामर्शी ने स्वयं इन कार्यों

को शत प्रतिशत किया है अथवा वह इन कार्यों के किसी अंश से सम्बद्ध रहा है। इसकी छानबीन आवश्यक प्रतीत होती है ।

अनुशंसा

(1) नगर विकास विभाग द्वारा सभा की विशेष समिति की अनुशंसा का सही कार्यान्वयन नहीं किया गया है । समिति अनुशंसा करती है कि नगर विकास विभाग द्वारा रांची के समेकित सिवरेज ड्रेनेज परियोजना के लिए मेनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति और इसे दिया गया कार्यादेश अविलम्ब रद्द किया जाय ।

(2) सभा की विशेष समिति की अनुशंसा के गलत कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से नगर विकास विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय तकनीकी समिति, विशेषकर इसके संयोजक, पूरी तरह जिम्मेदार है । समिति अनुशंसा करती है कि इनके विरूद्ध अविलम्ब विधि सम्मत कार्रवाई प्रारम्भ की जाय ।

(3) निविदा प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी उपसमिति ने अपने दायित्व का उचित निर्वहन नहीं किया है आर.एफ.पी. में वर्णित योग्यता और अनुभव के मापदंड के अनुरूप मेनहर्ट परामर्शी के निविदा प्रस्ताव के मूल्यांकन में इस समिति का आचरण पक्षपातपूर्ण है । समिति अनुशंसा करती है कि तकनीकी उपसमिति के सदस्यों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाय ।

(4) निविदा प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए गठित मुख्य समिति ने तकनीकी उपसमिति के मूल्यांकन पर मुहर लगाने में लापरवाही का परिचय दिया है । निविदा रद्द करने और शर्त्तों में संशोधन के साथ फिर से निविदा प्रकाशित करने के अपने निर्णय के विरूद्ध निविदा प्रस्ताव का पुनः मूल्यांकन करने और मेनहर्ट परामर्शी का गलत चयन करने का मुख्य समिति के सदस्यों का आचरण उनके पद एवं जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं है । समिति अनुशंसा करती है कि इसके लिए उन्हें कड़ी चेतावनी दी जाय ।

(5) जून, 05 में ग्लोबल टेन्डर प्रकाशित करने की परिस्थिति से लेकर मेनहर्ट परामर्शी के चयन और सभा की विशेष समिति की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया में कतिपय ऐसे तथ्य उभर कर सामने आये हैं, जिनकी छानबीन समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है । समिति अनुशंसा करती है कि सरकार इसकी आवश्यक जांच कराये ।